

सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता
न कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप
में मान्य नहीं होगा।

349
10/06/17

060-053267-16311



349
060-053267

Online है, 630

प्रमाणित कर्मी के
हस्ताक्षर एवं मोहर

338

19/06/17

कानिया
26/06/17
विकास
श्री का नाम श्री
20/06/17
20/06/17
20/06/17

स्वनिवासेत्री
नाम श्री
काठगंगा
राजपुर

देहरादून
सदर

परिवार की कम वार्षिक आय 36000/-

पति श्री. कनेवशन
पति श्री. श्री. श्री.

पति एजेन्सी का नाम
पति/काउन्टर रजिस्टर का क्रमांक

215

प्रधिकृत राशन डिपेंड का नाम श्री/ वीपका
नवनिर्माण का दस्तावेज में पूरा राशन कार्ड का नंबर

संजय ठाकुर
नया

कार्ड धारक का मोबाइल नंबर

कार्ड धारक का पोस्ट ऑफिस नंबर

कार्ड धारक का न.आई.डी. नंबर

कार्ड धारक का प.आई.डी. नंबर

05 [पॉल]

4-8-15

कार्ड धारक का प.आई.डी. नंबर



उत्तराखण्ड सरकार

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)

DEPARTMENT OF MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE
DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN

जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Uttarakhand Registration of Births and Deaths Rules 2003)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून तहसील देहरादून जिला देहरादून राज्य उत्तराखण्ड के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body) DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN of tahsil/ block DEHRADUN of District DEHRADUN of State/ Union Territory UTTARAKHAND

नाम / Name NEERAJ SAHANI लिंग / Sex MALE
जन्म तिथि / Date Of Birth JUL 20, 2015 AT 09:29 PM जन्म स्थान / Place Of Birth DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN
माता का नाम / Name Of Mother SUNITA
पिता का नाम / Name Of Father HARENDER SAHANI

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता /
Address of parents at the time of birth of the child
KATH BANGLA, NAI BASTI, RAJPUR ROAD,
DEHRADUN - UTTARAKHAND, INDIA

माता पिता का स्थाई पता /
Permanent address of parents
KATH BANGLA, NAI BASTI, RAJPUR ROAD,
DEHRADUN - UTTARAKHAND, INDIA

पंजीकरण संख्या / Registration No. [REDACTED]

पंजीकरण दिनांक / Date Of Registration JUL 20, 2015

टिप्पणी / Remarks (if any)

जारी करने की तिथि / Date Of Issue JUL 27, 2015

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of issuing authority

Dona मोहर / Seal

Ensure registration of every birth and death/ प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 416 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुमरी देवी पत्नी महावीर,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 72 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - ललित
4. दक्षिण- सुनीता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की मांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

2022

10/7/22 15500 + 9500

18/07/22 20 + 5

24/11/09/22 15500 + 9500
25/12/22 25 फी

07/10/22 15500 + 9500

25/12/22 25 फी

10/04/23

10/05/23 15500 + 9500

15/2/19 21 63 9111 35 811 21101

14/2/19 21 63 2111 35 411 21111

14/2/19 21 63 1911 35 411 21111

2022
का विवरण वर्ष - 2015

06/1/2022 10+15

13/1/2022 10+15

04/02/2022 10+15

17/02/2022 10+15

11/3/22 10+15

19/03/22 10+15

16/03/22 10+15

03/04/22 10+15

15/04/22 10+15

10+15-19/05/22

15 21/01 10+15 10/09/06/22

15 21/11 22/08/22 20/5/18

15 19/11 10/08/22 9.5 + 15300

13/12/22 9500 + 15500

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 418 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री ललन सिंह,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - प्रेम थापा
4. दक्षिण- प्रेम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

0/c देहरादून।

Consumer Personal Details

Consumer No :	[REDACTED]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.LALLAN SAHANI	Account No / CIN :	[REDACTED]
Father Name :	S/O.SH SHANISCHAR SAHNI	Billing Status :	Live
Address :	NAI BASTI ,KATH BANGLA BHAG 2 ,RAJPUR ROAD	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :		Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	20-Mar-2014
E-mail :		Total Security Deposit :	1648.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[REDACTED]	Meter Make :	LNT
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	32183192
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	32183192

Network / asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-A7 / NAGAL BRIDGE	Pole :	UPCL-DP-F-A7-1-038

[Back] [Close]

419

22/05/24

[Handwritten signature]

O/C

[Handwritten signature]

O/C

2814



भारत सरकार
Government of India



Prem Narayan
DOB : 01/07/1990
Male

24/02/2015



भारत सरकार
Unique Identification Authority of India



Address: C/O Mani Ram, Rajpur
Road, Near Sai Mandir, New Basti
Kath Bangla Bhag 2, Dehradun City,
Dehradun, Uttarakhand, 248001



47 [redacted] uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 425 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती ललित साहनी पत्नी श्री विदेश साहनी,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - लीला देवी
4. दक्षिण- सुगरी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-


1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

भारत सरकार के आदेशानुसार उपरोक्त राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।



दिनांक

पंजीकृत कार्ड का नंबर
राशन कार्ड का नंबर

परिवार के परिवार पूर्णता का नाम श्री गीता डेवी
पिता/पति का नाम श्री ललित साहनी
व्यवसाय का नाम तबला वादक
पता का नाम तबला वादक राधपुर
राज्य का नाम राजस्थान
जिला का नाम जयपुर
परिवार की कुल संख्या ५
कार्ड का नंबर १६७

पंजीकृत राशन कार्ड का नाम श्री अशुभ मिश्र
राशन कार्ड का नंबर
कार्ड धारक का पता
कार्ड धारक का पता
कार्ड धारक का पता

दिनांक ५/५/२०१०



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 426/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री विजय साहनी,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 48 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - धर्मवीर
4. दक्षिण- ललित

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
चुने हुए मतदाता पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD





नाम : विजय साहनी
Name : VIJAY SAHANI
पिता का नाम : भारोसी साहनी
Father's Name : BHAROSI SAHANI

लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्म तिथि / आयु : XXXX/1985 / 30
Date Of Birth / Age : XXXX/1985 / 30
पता : कान्ठ बंगला भस्ती भग 2, पो.- राजपुर, नहरवीम-
देहरादून, जिला- देहरादून-248009
Address : Kanth Bangala Basti Bhag 2, P.O-
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer
Date : 17-06-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसोरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 30 - सहकारी पत्रिका संस्थान, रजुरी रोड (R.N. 4)
Part No and Name : 30 - Sahkari Palkishan Sansthan, Mussoorie
Road (R.N. 4)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 427/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती हीरा दवी पत्नी श्री राम इकवाल,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- लीला
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर -
4. दक्षिण- लीला देवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।



एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 429 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबिता देवी पत्नी श्री बिहारी सैनी,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 204 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - करण
4. दक्षिण- उर्मिला

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदयों, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।



701/1111/122906
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

भुगतान पावती मूल प्रति 2091895

कार्यालय ANARWALA

दिनांक

सर्विस कनेक्शन संख्या :



Load : 1.0 KW

एकलान्ट संख्या :

ग्राहक का नाम

Mr. BIHARI SAHANI, NAI BASTI, RAJPUR ROAD, KATH B.

कल देय राशि

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

Payment Towards : NEW CONNECTION

प्राप्त राशि

₹ 1800.00

दक/ अन्त विवरण

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

संख्या

दिनांक :

पत्रांश

अनलान्ट संख्या

02 / ipsingh

संग्राहक के हस्ताक्षर

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचाये

एवं मोहर

कस्टमर केयर टोल फ्री नं० 1800-419-0405

K.B. COMPUTER STATIONERY

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 430 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री सुरेश दास,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 51 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- करण सिंह

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
भारतीय निर्वाचन आयोग
ELECTOR PHOT IDENTITY CARD




नाम : **KAVITA DEVI**

पति का नाम : **SURESH DAS**

Husband's Name : **SURESH DAS**

पति / स्त्री : **Female**

पति का नाम / पति : **XXXX/1989 / 28**

Date Of Birth/ Age : **19/04/2015**

पति : **XXXX/1989 / 28**

पति का नाम : **XXXX/1989 / 28**

Address : **Karhi, Bangala Basti, Bhag 2, P.O. Rajpur, Teh. Dehradun, Dist. Dehradun-248008**

Part No. and Name : **10 - Sakshi Puraskar in Literature, Mussoorie Road (P.No. 4)**

1. You need not show your card to any other voter till the next election. Please request if you are 18 years above and within your 18th birthday if you are 18.

2. You need not show your card before every election. Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

19/04/2015

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 431 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती राजवती पत्नी श्री करण सिंह,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 85 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - कवीता
4. दक्षिण- कविता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रमांक Enrolment No.: 1093/49004/00205

To,

Rajwati Devi

राजवती देवी

W/O Karan Singh

Rajpur Road Bodi Gard Nai Besti


Kandoli Kandoli

Dehradun

Uttarakhand 248001

Mobile:

15/1/2011



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



राजवती देवी

Rajwati Devi

पति : करन सिंह

Husband : Karan Singh

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1982

महिला / Female



आधार — आम आदमी का अधिकार

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 435/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री रामनाथ,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सुनैना
4. दक्षिण- प्रेम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

1496

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 436 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती अमवती पत्नी श्री मुन्ना लाल,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 190 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रमन
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - ममता
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।



लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XXXX/1962 / 55
Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- वीर गब्बर सिंह बस्ती तरला नागल, पो.- गुजराडा,
तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : Vill.- Vir Gabbar Singh Basti Tarla Nagal,
P.O- Gujrara, Teh.- Dehradun, Dist.-
Dehradun-248001

Date : 23-11-2015

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 18 - रायपुर
Assembly Constituency No & Name : 18 - Raipur
भाग संख्या और नाम : 4 - रोज मीन पब्लिक स्कूल, किराहाडी

Part No and Name : 4 - Roz In public school, kirahadi

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में फंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरा देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 443 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती श्वाती पत्नी श्री अमन कुमार,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- विरेन्द्र
2. पश्चिम- तिलक
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- तिलक

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को द्वारा आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

Consumer Personal Details

Consumer No :	[REDACTED]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.AMAN KUMAR	Account No / CIN :	[REDACTED] 383162
Father Name :	S/O.MUNNE SINGH	Billing Status :	Dismantled
Address :	KATH BANGLA ,BHAG 2 ,RAJPUR	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	[REDACTED]	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	01-Jan-2016
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[REDACTED]	Meter Make :	
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	019166
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	15096865

Network Asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Malsi
DTR Code/Name:	UPCL-DP-D-G5 / PB- IN FRONT OF SAI MANDIR ANAND VIHAR_EMBRALD HILLS	Pole :	UPCL-DP-D-G5-1-005

[Back](#) [Close](#)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 444/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मिन्दू कुमार पुत्र श्री सत्या प्रकाश,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 80 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सकीर
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - वकीर अहमद
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इरा आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0टी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property Tax

Ordinary Payment
नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक : XXXXXXXXXX
बिल की तिथि : 1/6/2020 6:50:28 AM
सॉफ्टवेयर कोड : XXXXXXXXXX

भवन स्वामी का नाम व पता : श्रीमति मीरा कुमारी पत्नि श्री मिनू कुमार (म0ब0निर्माण के स्वामी) . वीर गब्बर सिंह बस्ती तरला नांगल वीर गब्बर सिंह बस्ती तरला नांगल देहरादून

वर्तमान कर : 540.00
कुल अवशेष : 2340.00
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर : 432.00
देय धनराशि : 2772.00

अवशेष 2014 450.00
अवशेष 2015 450.00
अवशेष 2016 450.00

अवशेष 2017 450.00

अवशेष 2018 540.00

Print

New


भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : **मिन्दू कुमार**
Elector's Name : **Mendo Kumar**
पिता का नाम : **सत्य प्रकाश**
Father's Name : **Sarya Prakash**
लिंग / Sex : **पुरुष / Male**
1.1.2013 की आयु : **24**
Age as on 1.1.2013

पता पत्र : **88**
माली / मोबाइल : **सत्या प्रकाश**
ग्राम / मण्डल : **सत्या मण्डल**
महलगी / क्षेत्र : **भुजराज मण्डल**
बाजार : **राजपुर**
पोस्ट ऑफिस : **कुशन**
तहसील : **देहरादून**
जिला : **देहरादून**

Address H No : **88**
Street/Mohalla : **Tarla Nagar**
Village/Town : **Tarla Nagar**
Police Station : **Gopura Manangh**
Police Station : **Rajpur**
Post Office : **Kushan**
Tehsil : **Dehradun**
District : **Dehradun**

Date : **17 Sep 2013**
19-राजपुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकूल
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 19-Rajpur Constituency

This card is to be used for the purpose of identification of the voter and for the purpose of issuing the ballot paper to the voter. It is to be kept safe and should not be lost or damaged. In case of change in address, the voter should inform the Electoral Registration Officer for the constituency concerned.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 425 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती ललित साहनी पत्नी श्री विदेश साहनी,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - लीला देवी
4. दक्षिण- सुगरी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

भारत सरकार के आदेशानुसार उपरोक्त
राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप
में मान्य नहीं होगा।



दिनांक

समाप्त

परिवार के परिवार मुखिया का नाम श्री गीता डेवी
पिता/पति का नाम श्री ललित साहनी
वर्ग
पत्नी का नाम तबला नागा निवा राधपुर
पता
...



अधिकृत राशन विक्रेता का नाम श्री अबुशमस मिया
राशन कार्ड का नंबर ...
कार्ड धारक का मांगडल नंबर ...
कार्ड धारक का पता ...
...



4/4/2020

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 426/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री विजय साहनी,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 48 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - धर्मवीर
4. दक्षिण- ललित

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-


1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
चुने हुए मतदाता पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD


नाम : विजय साहनी
Name : VIJAY SAHANI
पिता का नाम : धरोसी साहनी
Father's Name : BHAROSI SAHANI

लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1985 / 30
Date Of Birth / Age

पता : कान्ठ बंगला भग्दी भाग 2, पो.- राजपुर, देहरादून-
देहरादून, जिला- देहरादून-248009
Address : Kanth Bangala Basti Bhag 2, P.O-
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Date : 17-06-2015
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसोरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 30 - सहकारी पत्रिका संस्थान, मुसोरी रोड (ए.नं. 4)
Part No and Name : 30 - Sahkari Palkshan Sansthan, Mussoorie
Road (P.Nr. 4)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 427 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती हीरा दवी पत्नी श्री राम इकवाल,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- लीला
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर -
4. दक्षिण- लीला देवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।





अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 429 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबिता देवी पत्नी श्री बिहारी सैनी,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 204 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - करण
4. दक्षिण- उर्मिला

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।



701/1111/122906
उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि०

भुगतान पावती मूल प्रति

कार्यालय ANARWALA

दिनांक

सर्विस कनेक्शन संख्या :

[Redacted]

Load : 1.0 KW

एकलान्ट संख्या :

ग्राहक का नाम

Mr. BIHARI SAHANI, NAI BASTI, RAJPUR ROAD, KATH B.

प्रदत्त देय राशि

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹ 600.00

Payment Towards : NEW CONNECTION

प्राप्त राशि

₹ 1800.00

रकम का ब्यौता विवरण

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

संख्या

दिनांक :

पत्रांश

अनुरोध संख्या

02 / ipsingh

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिकली बचाये
कस्टमर केयर टोल फ्री नं० 1800-419-0405

संग्राहक के हस्ताक्षर एवं मोहर

K.B. COMPUTER STATIONERY

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 430 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कविता देवी पत्नी श्री सुरेश दास,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 51 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- करण सिंह

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
मतदाता फोटो पहचान कार्ड - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD





नाम : कविता देवी
Name : **KAVITA DEVI**

पति का नाम : सुरेश दास
Husband's Name : **SURESH DAS**

लिंग / Sex : महिला / Female
जन्म तिथि / जन्म : XX/XX/1989 / 28
Date Of Birth/Age

पता : कांठ बंगला बस्ती भाग 2, पी.ओ. राजपुर, देहरादून-
Dehradun, Dist.- Dehradun-248009
Address : Kanth Bangala Basti Bhag 2, P.O. Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Date : 19-04-2015
भारतीय निर्वाचन आयोग
Electoral Registration Office

निम्न क्या केव ही संख्या और नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
पता संख्या और नाम : 10 - सक्कर पार्कशर संसद, मसूरी रोड प्लॉट 4
Plot No. and Name : 10 - Sakkar Parkshar Sansad, Mussoorie Road (R.No. 4)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई प्राप्ति नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन सभ्यता में निर्वाचक हैं। सुरक्षित करना तथा प्रत्येक चुनाव से पहले सही नाम सभ्यता में धारण करें।
More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचन सभ्यता में पंजीकरण के लक्ष्य अन्य किसी भी तिथि से जन्म के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

690

19/04/2015
706

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 431 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती राजवती पत्नी श्री करण सिंह,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 85 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - कवीता
4. दक्षिण- कविता


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 435/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री रामनाथ,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सुनैना
4. दक्षिण- प्रेम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

1520

Handwritten text, possibly a list or notes, with some green and purple markings.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or ledger with multiple columns and rows.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 436 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती अमवती पत्नी श्री मुन्ना लाल,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 190 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रमन
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - ममता
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1962 / 55
Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- वीर गबबर सिंह बस्ती तरला नागल, पो.- गुजराडा,
तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248001

Address : Vill.- Vir Gabbar Singh Basti Tarla Nagal,
P.O.- Gujrara, Teh.- Dehradun, Dist.-
Dehradun-248001

Date : 23-11-2015

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 18 - रापुर
Assembly Constituency No & Name : 18 - Raipur
भाग संख्या और नाम : 4 - रोज मीन पब्लिक स्कूल, किराहाडी

Part No and Name : 4 - Roz In public school, kirahadi

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में फंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 443 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती श्वाती पत्नी श्री अमन कुमार,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- विरेन्द्र
2. पश्चिम- तिलक
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- तिलक

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को द्वारा आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कार्य करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

Consumer Personal Details

Consumer No :	[REDACTED]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr.AMAN KUMAR	Account No / CIN :	[REDACTED]
Father Name :	S/O.MUNNE SINGH	Billing Status :	Dismantled
Address :	KATH BANGLA ,BHAG 2 ,RAJPUR	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	[REDACTED]	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	01-Jan-2016
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[REDACTED]	Meter Make :	
Meter Type :	WC	CT Type:	NON-CT
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	019166
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	15096865

Network Asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Malsi
DTR Code/Name:	UPCL-DP-D-G5 / PB- IN FRONT OF SAI MANDIR ANAND VIHAR_EMBRALD HILLS	Pole :	UPCL-DP-D-G5-1-005

[Back](#) [Close](#)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 444/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मिन्दू कुमार पुत्र श्री सत्या प्रकाश,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 80 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सकीर
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - वकीर अहमद
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के ढकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इरा आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property Tax

Ordinary Payment
नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक : XXXXXXXXXX
बिल की तिथि : 1/6/2020 6:50:28 AM
सॉफ्टवेयर कोड : XXXXXXXXXX

भवन स्वामी का नाम व पता : श्रीमति मीरा कुमारी पत्नि श्री मिनू कुमार (म0ब0निर्माण के स्वामी) . वीर गब्बर सिंह बस्ती तरला नांगल वीर गब्बर सिंह बस्ती तरला नांगल देहरादून

वर्तमान कर : 540.00
कुल अवशेष : 2340.00
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर : 432.00
देय धनराशि : 2772.00

अवशेष 2014 450.00
अवशेष 2015 450.00
अवशेष 2016 450.00

अवशेष 2017 450.00

अवशेष 2018 540.00

Print

New


भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : **मिन्दू कुमार**
Elector's Name : **Mindu Kumar**
पिता का नाम : **सत्य प्रकाश**
Father's Name : **Sarya Prakash**
लिंग / Sex : **पुरुष / Male**
1.1.2013 को आयु : **24**
Age as on 1.1.2013

पता पत्र : **88**
माली / मोडल : **सत्या प्रकाश**
ग्राम / मण्डल : **सत्या मण्डल**
महकमा / क्षेत्र : **भुजपुरा महकमा**
जिला : **राजपुर**
पोस्ट ऑफिस : **कुशान** पिन - 248001
तहसील : **देहरादून**
जिला : **देहरादून**
Address H No : **88**
Street/Mohalla : **Tarla Nagar**
Village/Town : **Tarla Nagar**
Pole no./Leah : **Gopara Manangh**
Police Station : **Rajpur**
Post Office : **Kushan** Pin - 248001
Tehsil : **Dehradun**
District : **Dehradun**

Date : **17 Sep 2013**
19-राजपुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकूल
Facsimile Signature of the Electoral Registration Officer for 19-Rajpur Constituency

This card is to be used for the purpose of identification of the elector only and it is not to be used for any other purpose. It is to be used only when the elector is going to the polling station and to show his name only when required.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 445 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मौ0 मुफिद पुत्र श्री सुलैमान,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 210 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - राकेश
4. दक्षिण- वकील

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : मो मुफीद
Name : Mohd Mufid
पिता का नाम : मो सुलेमान
Father's Name : Mohd suleman

लिंग / Sex : पुरुष / Male
 जन्म तिथि / जन्म : XX/XX/1990 / 23
 Date Of Birth/ Age

पता : H.No.2, कान्ठ बांगला बास, भाग 2, पो. राजपुर,
देहरादून, जिला- देहरादून-248009
 Address : H.No.2, Kanth Bangla Bas, Bhag 2,
 P.O- Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.-
 Dehradun-248009

Date: 25-02-2014
 राजपुर निर्वाचन अधिकारी
 Rajpur Returning Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 23 - उत्तर
 Assembly Constituency Name & Number : 23 - उत्तर
 मतदाता की पता : 25 - राजपुर निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर देहरादून

Part No and Name : 25 - राजपुर निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर देहरादून
 Road (Part No. 4)

नोट / Note :
 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन सूची में हैं। प्रत्येक चुनाव से पहले निर्वाचन सूची में अपने नाम की जांच करें।
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचन सूची में पंजीयन के लिए प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 446 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री राकेश पुत्र श्री ओमप्रकाश,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 54 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मलिक
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रघुवीर
4. दक्षिण- मुफिद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक **30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के ढकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्वन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि: राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA



मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : सरोज

Name saroj

पति का नाम : राकेश

Husband's Name : rakesh

124

लिंग / Gender : महिला / Female
 जन्म तिथि / आयु : 01-01-1980
 Date of Birth / Age :
 पता : म.प. 07, काठ बंगला बस्ती भाग 2, पी.-राजपुर,
 तहसील-देहरादून, जिला-देहरादून, पिन-248009
 Address : M.No 07, Kathi Bangla Basti Part 2, P.O.-
 Rajpur, Tehsil-Dehradun, Dist-Dehradun, Pin-248009

दिनांक / Date : 24-03-2019 निर्वाचक-पंजीयन अधिकारी
 Electoral Registration Officer

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम : 32-मुसोरी
 Assembly Constituency No. and Name : 32-Mussoorie
 भाग संख्या एवं नाम : 06-मुसोरी पीठ क/प, 4
 Part No. and Name : 36-Mussoorie Aash N No. 4

ध्यान / Note :
 1. इस कार्ड में अपने नाम को हर दो साल में ही अपडेट करना होगा।
 2. इस कार्ड को अपने पास रखें और इसे सुरक्षित रखें।
 3. यदि आपका नाम किसी कारणवश गलत हो जाए तो इसे तुरंत सुधारें।
 4. इस कार्ड को मतदान के लिए प्रयोग करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी।
 5. इस कार्ड को किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करने से बचें।
 6. इस कार्ड को खोने या चुराने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 7. इस कार्ड को मतदान के लिए प्रयोग करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी।
 8. इस कार्ड को मतदान के लिए प्रयोग करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी।
 9. इस कार्ड को मतदान के लिए प्रयोग करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी।
 10. इस कार्ड को मतदान के लिए प्रयोग करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी।

This document of this card is no guarantee provided
 here except in the current electoral roll. Please change your
 name in the current electoral roll before every election.
 1. You need to update your name in the card every 2 years.
 2. You need to keep this card safe and secure.
 3. If your name is wrong for any reason, you need to correct it immediately.
 4. This card is valid only for the purpose of voting.
 5. This card is not valid for any other purpose.
 6. This card is not valid if it is lost or stolen.
 7. This card is not valid if it is used for any other purpose.
 8. This card is not valid if it is used for any other purpose.
 9. This card is not valid if it is used for any other purpose.
 10. This card is not valid if it is used for any other purpose.

447

22/05/24

s/c

s/c

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 449 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती गीता पत्नी श्री जय किशोर,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन यागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टारक फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - पिंकी
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन यागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



पति/पति का नाम श्री जय प्रकाश राय
 पता मकान नं. मोहल्ला/वाट सख्या
 नाम राजस्व घान मोहल्ला/वाट सख्या
 गाव/ग्राम मोहल्ला/वाट वि.स. सं. २१५७ तहसील ६६२४८१
 परिवार के पुरुषों का व्यवसाय अ.प.स.जी
 परिवार की कुल वार्षिक धारक आय २५०००/-
 एल.पी.जी. कनेक्शन सख्या
 एम.बी.सी.
 गम नम्बरी/कापरी का नाम
 माटर/कास्टर रजिस्ट्रार का नम्बर
 दफान रजिस्ट्रार का नम्बर १०६/६
 शोधित गणन विक्रेता का नाम श्री/श्रीमती ए.पी.सी. चन्दा
 नवीनीकरण की दशा में समाप्त काम का नम्बर
 कार्ड धारक का मोबाइल नम्बर ९८७६५४३२१०
 कार्ड धारक का वोटिंग आई.डी. नम्बर
 कार्ड धारक का प.आई.डी. नम्बर
 कार्ड धारक का बक खाता सख्या
 बक का नाम तथा शाखा
 वृत्तियों का विवरण
 अको म ०६/ ६१
 राज्य न
 जिला म.प्र. मोहल्ला/वाट सख्या
 जिला अधिकारी
 मोहल्ला/वाट स.प. नाम मोहल्ला/वाट


परिवार के सदस्यों

क्र.सं.	परिवार के सदस्यों का नाम (परिवार के मुखिया को छोड़कर)	लिंग	सम्बन्ध	आय	मौखिक परिवार आय
1	श्रीमती <u>सु.बा.</u>	म.	पत्नी	२६००	२०००
2	श्री <u>जय प्रकाश राय</u>	पु.	पति	३०००	
3	श्री <u>बाबू सु.बा.</u>	म.	पुत्र	८००	
4	श्री <u>सु.बा. कु.बा.</u>	पु.	पुत्र	६००	
5	श्री <u>जय प्रकाश राय</u>	पु.	पुत्र	२००	
6	श्री <u>अ.प.स.जी</u>	पु.	पुत्र	१००	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
योग					

का विवरण

क्र.सं.	विवरण	मिति	परिवार का विवरण
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

संशोधित विवरण से वास्तविक आय का गणना करने और कार्य



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 454/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्रीमती फूली देवी पत्नी श्री राकेश,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 24 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- यवल
3. उत्तर - सीता
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्वन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को दुरा आशय से प्रेषित कि: राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रंतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।



भारत सरकार विशिष्ट पहचान प्रणाली

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/42581/19482

To

फुली देवी

Fuli Devi

C/O Rakesh Mahto

KATH BANGLA NEW BASTI BHAG 2

RAJPUR DEHRADUN

Dehradun

Rajpur

Chakrata Dehradun

Uttarakhand 248009

24/03/2015

350672553

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

[REDACTED]

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 0623/12092/19386

To,

राकेश कुमार

Rakesh Kumar

C/O Ram Bharos Mahto

Kath Bangla, Sai Mandir

Nai Basti, Rajpur Road

Kishanpur Dehradun

Rajpur Chakrata Dehradun

Uttarakhand 248009

9927399647

13/03/2015

Ref: 526 / 08X / 20396 / 20411 / P

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :



भारत सरकार


Government of India

राकेश कुमार

Rakesh Kumar

जन्म तिथि / DOB : 01/01/1989

पुरुष / Male



मेरा आधार, मेरी पहचान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 457 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती संगीता पत्नी श्री राजू,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 110 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- गली
3. उत्तर - संगीता
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

भारतीय निर्वाचन प्रणाली पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम: SANCEET DEVI

राज्य: उत्तर प्रदेश

निर्वाचन क्षेत्र: SAMU

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : 08/10/1984 / 30
Date Of Birth/ Age

पता : # No. 1/8, कांठ बंगला बस्ती भाग 2, पो.- राजपुर,
तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009

Address : H.No.1/8, Kanth Bangala Basti Bhag 2,
P.O- Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.-
Dehradun-248009



निर्वाचक रजिस्ट्रार अफिसरी
Electoral Registration Officer

Date: 27-12-2014

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसुरी

Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

पार्क संख्या और नाम : 30 - सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, मुसुरी रोड # नं. 4)

Par. No and Name : 30 - Sahkari Prankshan Sansthan, Mussoorie
Road (R.No. 4)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।

More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के असाध्य अथवा किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B, for any purpose other than registration in electoral roll.



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 459 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती मनीषा पत्नी श्री विनोद राम,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 70 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- समा
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- खाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रंतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 460/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री दीपक पुत्र श्री कशमिरी लाल,
तरला नागल, नदी रिस्पना,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 1 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- काली चरण
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- अमर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

STATE TRANSPORT DEPARTMENT
State Transport Department DEHRADUN RTO
FORM 23
CERTIFICATE OF REGISTRATION



Registration No : [REDACTED] Regis. Date : 02-Dec-2015
 Description of Vehicle : [REDACTED] Purpose for Printing RC : NEW
 Dealer's Name & Address : [REDACTED] DEHRADUN
 Owner Name : DEEPAK Contact: daughter of : KASHIMIRI LAL
 Full Address: (Permanent) : 114 KANTH BANGALA, EASTERN BANGAR NIGAM, DEHRADUN, UTTARAKHAND-248001
 Full Address: (Temporary) : 114 KANTH BANGALA, EASTERN BANGAR NIGAM, DEHRADUN-UTTARAKHAND-248001
 Fitness Up To : 01-Dec-2030 Tax Up To : One Time
 Owner Serial No : 1
 Detailed Description :
 Class of Vehicle : M CYCLE/SCOOTER Unit Vehicle No :
 Previous Registration : Ownership : INDIVIDUAL
 Norms : BHARAT STAGE III Maker's Name : TVS MOTOR COMPANY LTD
 Front HSRP No : AA173847482 Rear HSRP No : [REDACTED]
 Type of Body : 2WHEELER Month/year of Manuf. : 10 2015
 No of Cylinders : 1 Chassis Number : [REDACTED]
 Engine Number : CF1LF1372157 Fuel : PETROL
 Horse Power(B.H.P.) : 8.29 Cubic Capacity : 109.70
 Maker's Classification : TVS STAR CITY+ Wheel base : 1200
 Seating Cap in all : 2 Standing Cap : 0
 Sleeper Cap : 0 Unladen Wt (kgs) : 109
 Colour : MET BLUE Laden GV Wt (kgs) : 239
 Other Criteria :

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cars (Gross Vehicle Weight)

By Manuf.	As Regd.	Description	Weight(In kgs)
a) Front:			
b) Rear:			
c) Other:			
d) Tandem:			

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of SHRI RAM CITY UNION FIN LTD, DEHRADUN, 60, Dehradun, UK, Uttarakhand, 248001 w.e.f. 01-Dec-2015.

Purchase dt : 19-Nov-2015 Sale Amt : 48260/-
 OTT Date : 19-Nov-2015 Amount/Rcpt No : 1931 / DN43584
 TaxUpTo : One Time Vehicle Is Govt./ Pvt. : PRIVATE
 Tax Exempted or Not : NOT EXEMPTED Date of Approval : 02-Dec-2015

This certificate is valid from 02-Dec-2015 to 01-Dec-2030

Date : 07-Jan-2016 13:43:37

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of Registering Authority
Date: 07-Jan-2016

461

22/05/24



0/2



0/2


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD

Duplicate


 UK-12367669-27

निर्वाचक का नाम : अमर कुमार
 Elector's Name : Amar Kumar
 पिता का नाम : कश्मीर लाल
 Father's Name : Kashmir Lal
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2013 को आयु : 21
 Age as on 1.1.2013

पता सं. : 114
 गली/मोहल्ला : कांठ बंगला बस्ती भाग
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ले.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No : 114
 Street/Mohalla : Kanth Bangala Basti Bhag 2
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Lekh. : Jakhan
 Police Station : Rajpur
 Post Office : Rajpur Pin - 248001
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 21 Feb 2013 24/1348
 22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रारकीकरण
 अधिकारी की हस्ताक्षर की अनुकृति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussorie Constituency

इस हस्ताक्षर पर, वही को पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस को पर
 इस नाम का कार्ड देने के लिए सम्बंधित करने में यह कार्ड नमूना प्रयुक्त किया।
 In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including
 your name in the roll of the changed address and to obtain the card with same number

५४

462

22/05/24

व्यक्तिगत रूपि

o/c

नि

o/c

o/c



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सखिया देवी
Khgiya Devi
जन्म तिथि/DOB: 05/10/1966
पहल्ल/ FEMALE

Issue Date: 10/12/2013

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विधिक सहायता प्राधिकरण
National Legal Services Authority of India

पता:
डॉ. राम चंदर, वीर गबबर सिंह बस्ती, तरला नांगल,
गुजरा मणसिंग, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248013

Address:
C/O: Ram Chander, VIR GABBAR SINGH
BASTI, TARLA NANGAL, Gujara Mansingh,
Dehradun,
Uttarakhand - 248013

1847 | help@nlsl.gov.in | www.nsl.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 503 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री प्रेम सिंह,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - श्यामलाल
4. दक्षिण- उर्मिला देवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

O/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

O/c

भारत सरकार
Government of India





रम सिंह
Prem Singh
जन्म तिथि / DOB: 08/11/1964
प्राण / Male

22/10/2014

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India




पता: C/O रम सिंह, हाउस नं ए 130 कैनल रोड, वीर गबरा सिंह
बस्तिया टालना नगल, देहरादून, उत्तरांचंड, 248001

Address: C/O Ram Singh, HOUSE NO A 130
CANAL ROAD, VEER GABAR SINGH BASTI
TALNA NAGAL, Dehradun, Uttarakhand,
248001



1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 505/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

हितबद्ध व्यक्ति (नाम नामालूम),
वीर गम्बर बरती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 09 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - खाला
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम	: बबलू
Elector's Name	: Babalu
पिता का नाम	: छोट्टे लाल
Father's Name	: Chhote Lal
लिंग / Sex	: पुरुष Male
1.1.2007 की आयु	: 36
Age as on 1.1.2007	: 36

बबलू छोट्टे लाल

पहचान पत्र संख्या :- [Redacted]

पता	
म.सं.	: 1
गली/मोहल्ला	: राजपुर रोड नई बस्ती
ग्राम/नगर	: शिवलिक एरपट मैन्टा
थाना	: राजपुर
जिला	: देहरादून

Address

II.No.	: 1
Strt/Mohalla:	Rajpur Road Nace Basti
Vill/Town	: Shivalik Erpat Mainta
PoliceStn.	: Rajpur
Distt.	: Dehradun
Pin	: 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के
इस्तफा की अनुमति
निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर
Bacsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून	दिनांक : 19-01-2007
Place : Dehradun	Date : 19-01-2007

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

This card can be used as an Identity Card for different Government Programmes. 38/978

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 506 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री गणेश थापा पुत्र श्री करन सिंह थापा,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 125 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - अज्ञात
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इरा आशय से प्रेषित कि: राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रंतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कार्य करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


 भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD

Duplicate





निर्वाचक का नाम : गणेश थापा
 Elector's Name : Ganesh Thapa
 पिता का नाम : कर्ण बहादुर थापा
 Father's Name : Karna Bahadur Thapa
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2012 की आयु : 37
 Age as on 1.1.2012

भाग 2

पत्नी/सहोदर/पुत्र : श्रीम. लखन सिंह मुन्शी
 धर्म/बुद्धि : मध्य विभाग देहरादून
 पंचायती/ल.का : जाखुन
 बस : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No : 2
 Street/Mohalla : Vce: Jabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigan Dohradun
 Panchayat/Block : Jakhan
 Police Station : Rajpur
 Post Office : Rajpur Pin : 248001
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun


 Date : 17 JUNE 2012 30439

22 जनवरी 2012 को निर्वाचक रजिस्ट्रार
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

In case of change in address, update the Card No. in the address field for returning
 other status in the form if the changed address and to update the card with same number

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 507/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री घनश्याम मोर्य पुत्र श्री जगपाल मोर्य,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 63 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - गणेश थापा
4. दक्षिण- हीरालाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के ढकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property Tax

Online Payment

नगर निगम देहरादून

बिल (भवन कर)

बिल क्रमांक :

[REDACTED]

बिल की तिथि :

2/11/2020 4:10:32 AM

सॉफ्टवेयर कोड :

[REDACTED]

भवन स्वामी का नाम व पता :

श्री धनश्याम मौर्य पुत्र स्व जगपाल मौर्य (म0व0निर्माण के स्वामी) . जी-132 वीर
गम्बर सिंह बस्ती तरला नागल देहरादून जी-132 वीर गम्बर सिंह बस्ती तरला नागल
देहरादून देहरादून

वर्तमान कर :

397.00

कुल अवशेष :

1721.00

20% छूट के उपरान्त वर्तमान
कर:

317.60

देय धनराशि :

2038.60

अवशेष 2014 अवशेष 2015 अवशेष 2016

331.00

331.00

331.00

अवशेष 2017

331.00

अवशेष 2018

397.00

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 508 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री हीरालाल कुशवाह पुत्र श्री कपिल देव कुशवाह,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 140 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - घनश्याम
4. दक्षिण- चन्द्र बहादुर


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : हिरा लाल कुशवाहा
Elector's Name : Hira Lal Kushwah
पिता का नाम : कपिल देव कुशवाहा
Father's Name : Kapil Dev Kushwah
लिंग / Sex : पुरुष / Male
1.1.2013 की आयु : 28
Age as on 1.1.2013



पत्ती नं. : 03
 मूली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
 गाँव/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ले.पा : जायन
 पाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 246009
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No : 03
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Leh : Jaayan
 Panchayat : Rajpur
 Post Code : Rajpur Pin - 246009
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date: 15 Sep 2013 30/1072

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक अभिलेखिकरण
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकूलि
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussorie Constituency

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामों के निर्वाचक अभिलेखिकरण में दर्ज करवाये गये हैं।
 यदि कोई मतदाता इन नामों को निर्वाचक अभिलेखिकरण में दर्ज नहीं करवाये है तो उसे मतदान करने से
 वंचित किया जा सकता है।



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.

To

हीरा लाल कुशवाहा

Hira Lal Kushwaha

rajapur veer gabbar singh basti

Dehradun

Dehradun G.p

Chakrata Dehradun

Uttarakhand 248001

19/09/2014

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :



आधार - आम आदमी का अधिकार

509

22/05/24

Handwritten signature

o/c

Handwritten text

VIG

Handwritten text

Handwritten signature

o/c



भारत सरकार

Government of India



आधार



चन्द्र बाहादुर

Chandra Bahadur

जन्म तिथि / DOB : 05/07/1975

पुरुष / Male

29/12/2011

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India



AADHAAR

पता: S/O श्री धनि राम, ५, वीर गबर सिंह
बस्ती - २, जाखन, राजपुर, देहरादून, ३,
248009

Address: S/O Sri Dhani Ram, 5, vir gabar
singh basti - 2, jakhan, Rajpur, Dohradun,
Uttarakhand, 248009



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

758

510

22/05/24

ਸਿਧਾਂਤ ੨

੦/੦

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਗ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਗ

ਏਲ

ਕਾਰੇ

ਸਿਧਾਂਤ ੩

੦/੦


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD




निर्वाचक का नाम : कृष्णा देवी
 Elector's Name : Krishna Devi
 पति का नाम : सोम दत्त
 Husband's Name : Som Dutt
 लिंग / Sex : महिला / Female
 1.1.2013 को आयु : 60
 Age as on 1.1.2013

पता प.सं. : 6
 पत्नी / महिला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
 ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी / ले.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No. : 6
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Lekh. : Jakhn
 Police Station : Rajpur Pin - 248001
 Post Office : Rajpur
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013 30/940
 22-मुसौरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

इस पहचान पत्र पर कोई भी अज्ञान रूप में परिवर्तन लाया जाये तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम इस पत्र पर
 नहीं होगा और सर्वे कर के लिए सम्बन्धित कार्य में यह सर्वे समय लागू नहीं होगा।
 In case of change in address, mention this Card No. in the subsequent E-Form for facilitating
 your name in the roll at the changed address and to deliver the card with same number.

744

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 511...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री कृष्णा बहादुर पुत्र श्री प्रेम बहादुर,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 28 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - कृष्ण बहादुर
4. दक्षिण- रेहाना खातून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

कार्यालय ANARWALA

दिनांक:-

20-May-2016

सर्विस कनेक्शन संख्या :

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या :

उपभोक्ता का नाम : Mrs. KRISHAN BAHADUR, VIR GABBAR SINGH BASTI, T/

कुल देय राशि :

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹ 00.00

प्राप्त राशि Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹ 1800.00

संख्या :

दिनांक :

(Rupees Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

11 / सर्वोपयोग के हित में बिजली बचायें

एवं मोहर

कस्टमर केयर टोल फ्री नं. 1800-419-0405

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 512 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सुनील पुत्र श्री मनोहर,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 84 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - कृष्ण बहादुर
4. दक्षिण- रेहाना खातून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

भारत विभाग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : सुनील

Name: SUNIL

पिता का नाम : मनोहर लाल

Father's Name: MANOHAR LAL

लिंग / Sex : पुरुष / Male

जन्म तिथि / आयु : XXXX/1960 / 35
Date Of Birth/ Age

पता : म. नो. 8, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो. राजपुर, देहरादून-
Dehradun, जिला- देहरादून-248009

Address: H.No.8, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी
Electoral Registration Officer

Date: 05/01/2015

निर्वाचक क्षेत्र (सं.) का नाम : 22 - मसूरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

मतदाता क्षेत्र सं. : 30 / मतदाता क्षेत्र का नाम (सं.) : राजपुर (सं. 3)

पत्र सं. : 30 - Government Form C-30 (सं. 3)

शुद्ध प्रतिलिपि (सं. 3) (सं. 3)

नोट / Notes:

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कार्ड धारक को यह है कि वह वर्तमान निर्वाचक सूची में निर्वाचक है। यद्यपि यह मतदाता सूची में नाम दर्ज करने आवश्यक है।
2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि का निर्वाचक सूची में मतदाता के आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 513 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रेहाना खातून पत्नी श्री मौ0 राशीद,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्यना रकबा 90 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - सुनील
4. दक्षिण- सुनीता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्वन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना चुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।



भारत सरकार

Government of India



आधार

Aadhaar no. issued: 18/01/2014



रेहाना खातून

Rehana Khatoon

जन्म तिथि/DOB: 01/01/1978

महिला/ FEMALE

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार

Government of India



AADHAAR

पता:

C/O मोहम्मद राशिद, वीर गब्बर सिंह बस्ती, केनाल रोड,
 देहरादून राजपुर, राजपुर, देहरादून,
 उत्तराखण्ड - 248009

Address:

C/O Mohammad Rashid, Vir Gabbar Singh
 Basti, Canal Road, Dehradun, PO: Rajpur,
 DIST: Dehradun,
 Uttarakhand - 248009

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 574/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुनीता,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 24 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - रेहाना
4. दक्षिण- श्यामनाथ

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के ढकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान यावती मूल प्रति A

कार्यालय

ANARWALA

दिनांक: [REDACTED]

सर्विस कनेक्शन संख्या :

09-Feb-2016

एकाउन्ट संख्या :

Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम :

Mrs.SUNITA, VIR GABBAR SINGH BASTI, TARLA NAGAL

कुल देय राशि

₹

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹

1200.00

प्राप्त राशि

SERVICE LINE CHARGES

₹

600.00

चैक/ड्राफ्ट विवरण : Payment Towards : NEW CONNECTION

संख्या :

दिनांक :

घन राशि : ₹ 1800.00

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचाये

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

117 Yachinnanda2 प्र। न० 1800-419-0405

[Signature]

CITI FORMS, BADDI (H. P.) 01795-655193, 0172-6570667

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 517/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती ललिता देवी पत्नी श्री इकबाली मानसी,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- पारुल
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - अकबर
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक/अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग

पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD



UK-1250240

निर्वाचक का नाम : लाला देवी

Electoral Name : Lalai Devi

पति का नाम : रामकृष्णदास

Wife's Name : Ramkrishna

ग्राम / क्षेत्र : मण्डला / Family

2019 की आयु : 28

Age when, 2019

पता नं. : 0
 क्षेत्र / मंडल : शिवालिम (उत्तर-पूर)
 ग्राम / नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी, लेख : जकन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : देहरादून शहर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address II No : 0
 Street/Mohalla : Iyalik Apartment
 Village/Town : Nagar Nigan, Dehradun
 Patwari/Leah. : Jaknar
 Police Station : Rajpur
 Post Office : Dehradun City Pin : 248001
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date: 16 Jan 2013 21/1345

22-वसुंधरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अभियंता द्वारा
 निर्वाचन के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि

Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

In the presence of witnesses, produce this Card (to be included in the relevant Form) for including
 the name of the candidate in the list of candidates and to fill in the card with name number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 518 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री अकबर अली पुत्र श्री ईजाइल,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अज्ञात
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - फूलबदन
4. दक्षिण- ललिता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
महाराष्ट्र प्रदेशे पसचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : अकबर अली
Name : AKBAR ALI

पिता का नाम : इजराइल मिया
Father's Name : ISRAIL MIYA

सिप / Gender :

Date

जन्म तिथि / जन्म :

Date of Birth / Age :

पता : म. नं. 06, वीर गबबर सिंह बस्ती तरला नागल, पो.-कुल्हान,
तहसील-देहरादून, जिला-देहरादून, पिन-248001

Address : H No.06, Vir Gabbar Singh Basti Tarla Nagal,
PO Kulhan Tehsil-Dehradun, Dist-Dehradun, Pin-248001

दिनांक / Date : 25-03-2019

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
Electoral Registration Officer

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम : 19-रायपुर
Assembly Constituency No. and Name : 19-Raipur

भाग संख्या एवं नाम : 4-किरशाली
Part No. and Name : 4-Kirshali

ध्यान / Note :

1. इस कार्ड को प्रस्तुत करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान
निर्वाचक रजिस्ट्रेशन में शामिल हैं। प्रत्येक निर्वाचन के लिए आपको अपने नाम प्रत्येक निर्वाचन से पहले
रजिस्ट्रेशन में शामिल होना चाहिए।

There presentation of this card is no guarantee that you
are elector in the current electoral roll. Please check your
name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के
अवसर के लिए केवल प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated
as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than
registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 519 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पारुल,
वीर गम्बर बरती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अयगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब-
2. पश्चिम- ललिता देवी
3. उत्तर - अज्ञात
4. दक्षिण- जमीन

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2920



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति A [REDACTED]

कार्यालय :

सर्विस कनेक्शन संख्या :

एकाउन्ट संख्या :

उपभोक्ता का नाम :

कुल देय राशि :

दिनांक:-

8381

22-Jan-2016

Load : 1.0 KW

Mrs. POOJA, TARLA NAGAL, BHAG 3, VIR GABBAR SINGI

Mode : Cash

प्राप्त राशि SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

चैक/ ड्राफ्ट विवरण SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

संख्या : दिनांक : धनराशि : बैंक :
Payment Towards : NEW CONNECTION

₹ 1800.00

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में विजली बचाये

कस्टमर केयर टोल फ्री न० 1800-419-0405

11 / sachinnanda2

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

एवं मोहर

CITY FORMS, BADOI (H.P.) 01796-655193, 0172-6576887

777

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 522/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री अनिल तमगे,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- गोविन्द
2. पश्चिम- बृज किशोर
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- हेमराज

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

2925

1589



Vertical text on the left side of the book cover, likely a title or author name in a non-Latin script.

Vertical text on the right side of the book cover, likely a title or author name in a non-Latin script.



Faint vertical text on the left side of the bottom book cover.

1570



इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
 (Marketing Division)

स्टेट कार्यालय
State Office

Uttar Pradesh SO II
 Noida

स्टेशनरी क्रमांक
Stn. No.
 प्रपत्र संख्या
Form No.
 कागजात प्रकार
Doc. Type
 संख्या
Number
 दिनांक
Date

SV
 17/10/2015 00:00:00.000000

वितरक Distributor

नाम Name
पता Address

INDIAN GAS SERVICE
 S-16, AVAS VIKAS, DOON VIHAR
 DEHRADUN

नाम Name
पता Address

अन्तरण करनेवाला वितरक Transferee Distributor

कोड Code

[Redacted]

कोड Code

[Redacted]

ग्राहक Customer

नाम Name
पता Address

MAN BHADUR S/O SURAT SINGH
 B VEER
 GABAR SINGH BASTI
 CANAL ROAD
 DEHRADUN

उपकरण प्रकार
Eqpt. Type

श्रेणी Category	सं. No.	दर रु. Rate (Rs.)	धनराशि रु. Amount (Rs.)
14.2 DOM	1		1450.00
PR	1	150.00	150.00
कुल Total			1600.00

पिन कोड
Pin Code

248881

धनराशि
शब्दों में
Amount
In Words

Net Payable: One Thousand Six Hundred only

श्रेणी
Category

Domestic

उपभोक्ता क्र.
Consumer No.

3700000029838279 (EN3 0190 567)

पिछला कागजात Previous Document

इकाई Type

REGN

मेक Make

[Redacted]

संख्या Number

[Redacted]

क्र.सं. Sr.No.

[Redacted]

कार्यकाल Date

17/10/2015 00:00:00.000000

टिप्पणी
Remarks

[Redacted]

हल कंपनी
Oil Company

Indian Oil Corporation Ltd

उपकरण प्रकार
Eqpt. Type

मायब Lost
 खराब वापस किया Returned
 Defective

गैस सिलिंडर
Cylinder

[Redacted]

रेगुलेटर
Regulator

[Redacted]

ग्राहक का हस्ताक्षर
CUSTOMER'S SIGNATURE

वितरक का हस्ताक्षर और मुहर
ON BEHALF OF INDIAN OIL CORPORATION LTD.
 DISTRIBUTOR'S SIGNATURE WITH STAMP

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 528/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सरिता राठौर,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब-
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- सुनील

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



भारत सरकार



आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0 [REDACTED]

To
सरिता देवी
Sarita Devi
W/o Rajbhan Singh Rathore
Vir Gabbar Singh Basti
Tarla Nagal
Kishanpur
Dehradun Uttarakhand - 248009
[REDACTED]

Signature Not Verified

Details signed by
UNIQUE IDENTIFICATION
AUTHORITY OF INDIA on
Date: 2021/02/09 12:10:21

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. [REDACTED]

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



Issue Date: 23/02/2015



सरिता देवी
Sarita Devi
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1969
लिंग/ GENDER: FEMALE

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ।

- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
पत्नी राजभान सिंह राठौर, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तला
नागल, किशनपुर, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248009

Address:
W/o Rajbhan Singh Rathore, Vir Gabbar
Singh Basti, Tarla Nagal, Kishanpur,
Dehradun,
Uttarakhand - 248009

Download Date: 02/03/2022

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 531 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती दिव्यामसि पत्नी श्री संजय,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 38 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब-
2. पश्चिम-
3. उत्तर -
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रंतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : संजय मसीह
 Elector's Name : Sanjay Masih
 पिता का नाम : सुरेन्द्र मसीह
 Father's Name : Surendra Masih
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2013 को आयु : 30
 Age as on 1.1.2013

पता सं. : 7
 गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ले.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No : 7
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Lekh. : Jakhan
 Police Station : Rajpur Pin - 248001
 Post Office : Rajpur
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 8 Mar 2013

30/938

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रारकक्ष
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including
 your name in the roll in the changed address and to obtain the card with same number



चक्रण नं. 06
ती आदेश
नदी नि

BNC

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Ltd.
(Marketing Division)

स्टेशनरी क्रमांक
Str. No.
प्रपत्र संख्या
Form No.
कागजात प्रकार
Doc. Type
संख्या
Number
दिनांक
Date

[Blank fields for Stationery details]

कार्यालय
Office

उत्तल
Moida

वितरक Distributor

नाम Name
पता Address

INDIAN GAS SERVICE
B-13, AVAS VIKAS, DORN VIHAR
DEHRADUN

नाम Name
पता Address

अन्तरण करनेवाला वितरक Transferee Distributor

कोड Code

[Redacted Code]

कोड Code

[Redacted Code]

ग्राहक Customer

नाम Name
पता Address

DIVYA - KASHI W/o - SANJAY KASHI
7 AIR GARDEN SINGH BASTI
KISHANPUR
CANAL ROAD
DEHRADUN
Contact No : -
248881

उपकरण प्रकार
Eqpt. Type

श्रेणी Category	सं. No.	दर रु. Rate (Rs.)	धनराशि रु. Amount (Rs.)
14.2 DGM	1		1458.00
PR	1	150.00	150.00
कुल Total			1608.00

सिलेंडर
Cylinder
रेगुलेटर
Regulator

पिन कोड
Pin Code
श्रेणी
Category
उपकरण क्र.
Consumer No.

Domestic

धनराशि
शब्दों में
Amount
in Words

Net Payable: One Thousand Six Hundred only

पिछला कागजात Previous Document

प्रकार Type

REGM

ब्रेक Make

hisa

संख्या Number

[Redacted Number]

क्र.सं. Sr.No.

8663885

कार्यक Date

06/12/2016 08:08:00.000000

टिप्पणी
Remarks

[Blank Remarks]

तेल कंपनी
Oil Company

IndianOil Corporation Ltd

उपकरण कोन
Eqpt. Type

Lost Returned Defective

सिलेंडर
Cylinder

[Blank Cylinder Status]

रेगुलेटर
Regulator

[Blank Regulator Status]

दिव्या मश्री

INDIAN GAS SERVICE
S-13, Avas Vikas Shopping
Dorn Vihar, Dehradun
IndianOil

ग्राहक के हस्ताक्षर
CUSTOMER'S SIGNATURE

कृते इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. वितरक का हस्ताक्षर और मुहर
ON BEHALF OF INDIAN OIL CORPORATION LTD.
DISTRIBUTOR'S SIGNATURE WITH STAMP

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 532 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री रामदास,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टारक फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 16 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- करन सिंह
3. उत्तर - दिव्या
4. दक्षिण- मन बहादुर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले ध्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 533/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री चन्द्रपाल,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 163 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- गोविन्द
3. उत्तर - मन बहादुर
4. दक्षिण-- छोटेलाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/ओपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

o/c



Indane

INDIAN OIL CORPORATION

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड Indian Oil Corporation Ltd.

(Marketing Division)
Uttar Pradesh

Moida

वितरक Distributor

INDIAN GAS SERVICE
S-16, AVAS VIKAS, DOON VIHAR
JAKHAN, DEHRADUN
DEHRADUN

स्टेशन नंबर
Stn. No.
फॉर्म नंबर
Form No.
दस्तावेज प्रकार
Doc. Type
संख्या
Number
दिनांक
Date

SV

1000

21/12/2014 09:00:00 AM

अन्यत्र करनेवाला वितरक Transferee Distributor

रून Name
पता Address

ग्राहक Customer

CHANDRA PAL S/O- MANSUKH LAL
BEEF
GABBAR SINGH BASTI
CANAL ROAD
DEHRADUN
Contact No :-
9650574050

गैस प्रकार
Gas Type

गैस
Cylinder
गैस
Regulator

श्रेणी Category	सं. No.	दर Rate (Rs)	धरातीत Amount (Rs.)
14.2 DEM			1438.00
PR		50.00	150.00
			1600.00

कुल Total
Net Payable: One Thousand SIX HUNDRED ONLY

Amount
In Words

पिछला दस्तावेज Previous Document

गैस Regulator

MCGA
0135247

उप-सं. नं.
Sub. No.
टिप्पणी
Remarks

21/12/2014 09:00:00 AM

INDIAN OIL CORPORATION LTD

ग्राहक के हस्ताक्षर
CUSTOMER'S SIGNATURE

इस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. वितरक को हस्ताक्षर और मुहर
ON BEHALF OF INDIAN OIL CORPORATION LTD
DISTRIBUTOR'S SIGNATURE WITH STAMP



701/112/138492
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

कार्यालय ANARWALA

सर्विस कनेक्शन संख्या :

दिनांक: 02-Mar-2018

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या :

उपभोक्ता का नाम :

Mr. CHANDRA PAL, VIR GABBAR SINGH BASTI, TARLA N

कुल देय राशि :

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹

1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹

600.00

Payment Towards : NEW CONNECTION

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹

1800.00

संख्या :

दिनांक :

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

11 / 25 चार्जिंग नोटबुक हित में विजली बचाये

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर
 एवं मोहर

कस्टमर केयर टोल फ्री नं. 1800-419-0405

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 536/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुमन पत्नी श्री देव प्रताप शाहू,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गदित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 44 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौंहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- खाली प्लॉट
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- नूर अली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनआदेश संख्या - 588/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौकों से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को मू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे यसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के तम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
 भारतीय निर्वाचन आयोग - ELECTORAL PHOTO IDENTITY CARD






नाम : देवप्रताप शाह
Name : DEVPRATAP SHAHU
पिता का नाम : अक्षय नथ शाह
Father's Name : ACHHAWAR NATH SHAHU

लिंग / Sex : पुरुष / Male
जन्म तिथि / आयु : XXXXX/1980/25
Date Of Birth/ Age

पता : H.No.5, वीर गब्बर सिंह बास्ती, पो.- राजपुर, महसीम-देहरादून, जिला- देहरादून-248009
Address : H.No.5, Veer Gabber Singh Basti, P.O.- Rnjpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009


जिसका निर्वाचन अधिकारी
Electoral Registrar Officer

दिनांक 12-01-2015

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 (मसूदा)
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
राज्य संख्या और नाम : 09 - उत्तरांचल राज्य (संघ राज्य क्षेत्र), दिल्ली राज्य (संघ राज्य क्षेत्र)
State No & Name : 09 - Government of Uttar Pradesh (Union Territory), Delhi (Union Territory)
Part, Mts and Name : 38 - Government of India College (Lof, Sigh)
Sub-urban Loc: Part: No 38

नोट / Note :
 1. इस कार्ड को धारण करने का मतलब यह नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन चक्र में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले निर्वाचन सूची में जांचें।
 More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
 2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को प्रवेश सूची में उम्र के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

776

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 538/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री कुबेर पुत्र श्री भोला,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 100 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- गली
2. पश्चिम- कालू
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ सलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कार्य करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c

296

No.: 296



उत्तराखण्ड सरकार

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)

DEPARTMENT OF MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE
DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN

जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Uttarakhand Registration of Births and Deaths Rules 2003)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून तहसील देहरादून जिला देहरादून राज्य उत्तराखण्ड के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register

for (local jurisdiction only) DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN of DEHRADUN

of District DEHRADUN of State/ Union territory UTTARAKHAND

नाम / Name SACHIN AHIWAR लिंग / Sex MALE
जन्म तिथि / Date Of Birth SEP 11, 2012 AT 04:05 PM जन्म स्थान / Place Of Birth DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN
माता का नाम / Name Of Mother KAMLA AHIWAR
पिता का नाम / Name Of Father KUBER AHIWAR

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता /
Address of parents at the time of birth of the child
KISHANPUR CENNAL ROAD, DEHRADUN -
UTTARAKHAND, INDIA

माता पिता का स्थाई पता /
Permanent address of parents
KISHANPUR CENNAL ROAD, DEHRADUN -
UTTARAKHAND, INDIA

पंजीकरण संख्या / Registration No. [REDACTED]

पंजीकरण दिनांक / Date Of Registration SEP 11, 2012

टिप्पणी / Remarks (if any) [REDACTED]



जारी करने की तिथि / Date Of Issue SEP 12, 2012

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of issuing authority

Chief Medical Superintendent
District Women Hospital

"Ensure registration of every birth and death/ प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।"



44
 Constituency: **Khataspur**
 District: **Delhi**
 Pin: **110049**

Signature of
 Electoral Registration Officer
 Date: **03-11-2006**

भारत निर्वाचन आयोग
 भारत सरकार
 भारत निर्वाचन आयोग
 भारत सरकार
 भारत निर्वाचन आयोग
 भारत सरकार

भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 भारत पर
 IDENTITY CARD

Electoral Roll No. **1234**
 Elector's Name: **Kuber**
 Father's Name: **Rhola**
 Sex: **Male**
 1.1.2005 के लिए: **10**
 Age as on 1.1.2005

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 540/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मनोहर मौर्य पुत्र श्री शिताली मौर्य,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- गली
3. उत्तर -- नूर अली
4. दक्षिण- राम तीरथ गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

समावेशन क्रम/ Enrol

To
मनोहर मौर्या
Manohar Maurya
C/O Shitale Maurya,
Bir Gabbar Singh Basti,
Tarda Nagal,
VTC, Dehradun,
PO Dehradun,
Sub District Dehradun,
District Dehradun,
State Uttarakhand,
PIN Code: 248001

Signature Not Verified
Digitally signed by Manohar Maurya
DN: cn=Manohar Maurya, o=Unique
Identification Authority of India,
c=IN

आपका आधार

भारत सरकार
Government of India



मनोहर मौर्या
Manohar Maurya
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1975
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग संचालन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/
ऑफलाइन प्रमाणीकरण के माध्यम से) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship
or date of birth. It should be used with verification (online
authentication, or scanning of QR code / offline YML)

मेरा



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनिश्चयी में विनिश्चित जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पर को सुअडैप्टेड/अडैड द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या एच एटीए में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रिडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए लागूकृत की तारीख से प्रत्येक 10 वर्षों में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए।
- भारत विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कचहरी/सेवाओं का लाभ लेने में सक्षमता करता है।
- आधार से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की सेवा करने वाले सहकर्मी लेने के लिए बाध्य है।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
C/O शिताले मौर्या, बीर गबबर सिंह बस्ती, तारदा नागल,
देहरादून, देहरादून, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001

Address:
C/O Shitale Maurya, Bir Gabbar Singh Basti,
Tarda Nagal, Dehradun, PO Dehradun, DIST:
Uttarakhand - 248001

Mobile no:

1947

www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 542/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री ईमाम हुसेन पुत्र श्री इजराईल,
वीर गब्बर बरती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- मोहन
3. उत्तर - राम तीरथ
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश, दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

542
original checked

UNION OF INDIA Driving Licence UK NT

[REDACTED] 1

Date of Issue: **16-04-2014** Validity: **15-04-2034**

Date of Birth: **25-10-1992** Blood Group: **Unknown**

Name: **IMAM HUSSAIN**

Father: **IZRAIL MIYA**



[REDACTED]

[REDACTED]

MCWG 16-04-2014 LMV 16-04-2014

Endorsement Date: **24-02-2024** UK

Endorsement No: **UK07 [REDACTED]**

Present Address: **MR GABBAR SINGH BASTI TARLA NAGAL, DEHRADUN, 248001**

holder's Signature: **[REDACTED]**

Issuing Authority Sign: **[REDACTED]**
RTO, DEHRADUN

FORM 7 (New) 10/2018

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 544/एमडीडीए/एनटीटी-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में

श्रीमती सुरमा देवी पत्नी श्री नर बहादुर थापा,
वीर गंज एस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायित्व मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खण्ड नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिज्यूना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है-

- 1 पूर्व- राम तीरथ
- 2 पश्चिम- शन्ता
- 3 उत्तर - राम तीरथ
- 4 दक्षिण- मोहन कुमार

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ सलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा प्रकृत आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी जायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 548/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में लयी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा उचित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/06/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा दें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अपैठ कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अपैठ निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय दायित्व के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीनस्थ अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिनिधि-

- 1 जिलाधिकारी नगीदा देहरादून को सादर सूचनाएं हेतु प्रेषित।
- 2 नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को इस आशय में प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम्डीडीए की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 को कम से कमियत कार्यालयी हेतु तिकि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीनस्थ अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

सरकार के आदेशानुसार उपर लिखित
न कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप
में मान्य नहीं होगा।

[Redacted]



दिनांक

प्रमाणित प्रती के
हस्ताक्षर एवं मोहर

सुभाष कर्मा
श्री २ अक्टूबर सिंह बस्ती
डेप्युटी
मजदुरी
२१०००/-
I-5525
अभियोग X
गणितन गैल सैरिस
116
गणितन शर्मा
271659/330

[Redacted]

3
18-6-14

सुभाष कर्मा ७ २५/११
११) २५/११ १ ५/११ २०००/-
२००० १ ५/११

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 545 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री छोटेलाल,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नूर अली
2. पश्चिम- थापा
3. उत्तर - महाराष्ट्र वाले
4. दक्षिण- खान साहब

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD




निर्वाचक का नाम : रानी बाई
 Elector's Name : Rani Dai
 पति का नाम : अशोक कुमार
 Husband's Name : Ashok Kumar
 लिंग / Sex : महिला / Female
 1.1.2013 को आयु : 25
 Age as on 1.1.2013

पता सं. : 0
 गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ले.पा. : जखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No : 0
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Lekh. : Jakhn
 Police Station : Rajpur
 Post Office : Rajpur
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013 30/948
 22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण
 अधिकारी से हस्ताक्षर की अनुकृति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussorie Constituency

ध्यान दें: यदि आपका पता बदलता है तो आपको इस कार्ड को नए पते पर भेजना होगा।
 In case of change in address, forward this card to the relevant P.O. for including
 your name at the roll of the changed address and to obtain the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 546/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री बलवीर मरच्छवान पुत्र श्री भगत मरच्छवान,
वीर गब्बर वस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है-

1. पूरब- गली
2. पश्चिम- दिल बहादुर थापा
3. उत्तर - अशोक कुमार
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

०/०

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

०/०



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

गुगतान पावती मूल प्रति A
RATED

कार्यालय ARWALA

दिनांक:-

सर्विस कनेक्शन संख्या

एकाउन्ट संख्या

Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम

Mr. DALVEER MARACHAVAN, VIR GABDAR SINGH BASTI

कुल देय राशि

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹ 600.00

प्राप्त Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

संख्या :

दिनांक :

₹ 1800.00
(Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर
एवं मोहर

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें
11 / sachin@anda2
कस्टमर केयर टोल फ्री नं० 1800-419-0405

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 549/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री सातिगराम,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 35 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- जगदीश
2. पश्चिम- रोशनलाल
3. उत्तर - रोशन
4. दक्षिण-- खाली प्लॉट

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 553 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री राजू पुत्र श्री अच्छेलाल,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 106 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- खाली
3. उत्तर - जनार्दन
4. दक्षिण- कुबैर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1989 / 25
Date Of Birth/ Age

पता : H.No.20, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Address : H.No.20, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009



निर्वाचक अधिकारी
Electoral Registrar Officer

Date : 21-01-2014

निर्वाचक क्षेत्र का नाम और नम्बर : 22 - मण्डली
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mandoli
भाग संख्या और नाम : 32 - राजकीय इंटर कॉलेज बंगला बाग, निम्नतर, बाग
भाग क्र. 3)
Part No and Name : 32 - Government Inter College (Laxi Sighi)
Bistarapur (Laxi Part No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक सूची में निर्वाचक हैं। कृपया अगले आम निर्वाचन सूची से पहले वर्तमान सूची में जांच लें।

More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को निर्वाचक सूची में उम्र के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

GENERAL INSTRUCTIONS

Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in cannot be claimed legally

It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.

Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.

Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.

Do not keep specimen signatures in the passbook.

Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in the case of any discrepancy.

In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.

Intimate change of address if any to the postmaster.


Don't hand over blank signed withdrawal forms to any parson including authorised agents.

Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawal of money from your account.

m/HC Tm Rethu

जमाकर्ता का नाम
Depositor's Name

Khusboo



1

P.O. Rofu

3

पता / Address

Gabbar Smt Rastri
Kishanp

Date of Birth

3/3/2008

Name of Parent/Guardian
(in case of minor)

Rethu

जारी करने की तारीख

28-11-13

Date of Issue

खाते का प्रकार

SB

Account Type

चेक खाता (हाँ/नहीं)

Cheque A/c (Yes/No)

खाता / Account No.



PAN No.

(For SCSS-2004 only)

पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर
Sign of Postmaster

[Signature]

नामांकन की संख्या
Nomination



रजिस्ट्री की तारीख
Date of Registration

1

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 561 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री सुबक्श,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब-
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- इकबाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 564/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री टिकू कुमार पुत्र श्री त्रघि,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 25 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- निजामुद्दीन
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- कुवर पाल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



C/O Rishi Ram, Veer Gabbar Singh Basti,
Rajpur Road, Dehradun, Dehradun,
Uttarakhand - 248001

Address:
C/O Rishi Ram, Veer Gabbar Singh Basti,
Rajpur Road, Dehradun, PO Dehradun, DIST
Dehradun, Uttarakhand - 248001



1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



Aadhaar no issued: 06/02/2015



टिंकु कुमार
Tinku Kumar
जन्म तिथि / DOB: 31/01/1990
पुरुष / MALE
Mobile No.: 8954074635

मेरा आधार, मेरी पहचान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 566 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री इकबाल पुत्र श्री एदार हुसैन,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 63 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - इकबाल
4. दक्षिण- बट्टीप्रसाद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c


 भारत सरकार
 Government of India


 आधार

Issue Date: 22/09/2014


 इकबाल अहमद
 Ikbal Ahmad
 जन्म तिथि/DOB: 01/02/1982
 पुरुष/ MALE




मेरा आधार, मेरी पहचान


 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
 Unique Identification Authority of India


 AADHAAR

पता:
 गबर बस्ती, देहरादून राजपुर, देहरादून,
 उत्तराखंड - 248009

Address:
 Gabar Basti, Dehradun, Dehradun,
 Uttarakhand - 248009



6853 4870 7265



1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 568 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री प्रमोद पुत्र श्री सोहन लाल,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खत्तरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 52 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- सुमित
3. उत्तर - रवि
4. दक्षिण- राम किशोर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0टी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।


 भारत सरकार
 Government of India


 आधार

Author No. Issued: 200402015


 प्रमोद कुमार
 Pramod Kumar
 जन्म तिथि/DOB: 01/07/1993
 पुरुष/ MALE



मेरा आधार, मेरी पहचान


 भारत सरकार
 Unique Identification Authority of India


 AADHAAR

पता:
 सोहन लाल, वीर गब्बर सिंह बस्ती भाग 3, तरला नागल,
 रायपुर रेंज, राजपुर, देहरादून,
 उत्तराखण्ड - 248009

Address:
 Sohan Lal, Vir gabbar singh basti bhag 3,
 Tarla nagal, Rajpur Range, PO: Rajpur, DIST:
 Dehradun,
 Uttarakhand - 248009





1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Consumer Personal Details

Consumer No :	[REDACTED]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name :	Mr PRAMOD KUMAR	Account No CIN	[REDACTED]
Father Name :	S/O.SHRI SOHAN LAL	Billing Status :	Live
Address :	VIR GABBAR SINGH BASTI, BHAG 3, TARLA NAGAL	Contracted Load :	1.00 KW
Phone no :	[REDACTED]	Connected Load :	1.00 KW
Office Name :	ANARWALA	Supply Release Date :	15-Mar-2016
E-mail :		Total Security Deposit :	1200.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[REDACTED]	Meter Make :	
Meter Type :	WC	CT Type:	
Meter Capacity :	10-60	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	1
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	856457
Cover Seal 2 :	856457	Terminal Seal No :	137496

Network Asset Details

Substation :	33/11 kV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 kV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name :	UPCL-DP-F-B3 / GABBAR SINGH BASTI	Pole :	UPCL-DP-F-B3-1-019

Back Close

31-05-24
 उपखण्ड अभियंताजी
 विद्युत वितरण उपखण्ड
 अमरावती
 देहली

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 569 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सुभाष सिंह पुत्र श्री जयप्रकाश,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 30वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - बट्टीनाथ
4. दक्षिण- अमरनाथ

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/डोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक **30/05/2024** के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रंतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।


 भारत सरकार
 Government of India
 
 आधर

Aadhaar no. Issued: 28/11/2013


 Subhash Singh
 Date of Birth/DOB: 01/01/1989
 Male/ MALE



मेरा आधार, मेरा पहचान


 भारतीय विधिक पहचान प्राधिकरण
 Unique Identification Authority of India
 
 AADHAAR

Address:
 C/O: Jayprakash Singh, Veer Gabbar Singh
 Basti, Tarla Nagai Raipur, Dehradun, PO:
 Dehradun G.p, DIST: Dehradun,
 Uttarakhand - 248001



1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 570 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कुसुम पत्नी श्री संजीत,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 86 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - रामकिशोर
4. दक्षिण- राजमणि

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इत्त सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

c/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

c/c



भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.

To
कुसुम
Kusum
W/O. Sanjit,
2,
Jakhan,
Canal Road,
Ward No-3,
VTC, Dehradun,
PO: Dehradun G.p,
Sub District: Chakrata,
District: Dehradun,
State: Uttarakhand,
PIN Code: 248001,

Validity unknown
Digitally signed by Unique Identification Authority of India
DN: cn=Unique Identification Authority of India, o=UIDAI, email=uidai@uidai.gov.in, c=IN, date=2024.06.21 21:27:00+05:30

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

VID : 9133 9230 9209 9331

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



Aadhaar no. issued: 06/06/2015



कुसुम
Kusum
जन्म तिथि/DOB: 15/02/1990
महिला/ FEMALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ऑफलाइन एक्साएनएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of Identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

मेरा आधार, मेरी पहचान



Government of India



सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पर को यूआईडीआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in, पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्षों में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बायोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की भाग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
अधागिनी: संजीत, 2, जाखन, केनाल मार्ग, बॉर्ड न-3,
देहरादून, देहरादून जी.पी, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001
Address:
W/O: Sanjit, 2, Jakhan, Canal Road, War
No-3, Dehradun, PO: Dehradun G.p, DIS
Dehradun,
Uttarakhand - 248001

Details as on: 14/06/2024

VID : 9133 9230 9209 9331

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 571 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में

श्रीमती राजमणि पत्नी श्री मिथुन,
दीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

सा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जोड़ित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा न0 289 श्रेणी E-1 नदी रिस्यना रुकबा 20 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - कुसुम
4. दक्षिण- नदी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा चक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(H)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में लीयी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा उचित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/रुकबा मौके से खतरा हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/रुकबा कबले को हटा दिया जाएगा। इसमें होने वाले खर्च को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जाएगा। यदि आपका उक्त अधि निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अधिलेखीय वि0 शास्त्री की सहाय एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीनस्थ अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिनिधि-

1. जिलाधिकारी महादया देहरादून को सादर सूचनाएँ हेतु उचित।
2. नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को इस आशय से उचित कि राजस्व विभाग नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की सहायक टीम द्वारा सा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागड़ी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 से कम से अधिक जानकारी हेतु लिखित निवेदन करने का कष्ट करें।

अधीनस्थ अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

1037


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD

[Redacted]




निर्वाचक का नाम : मिथुन
 Elector's Name : Mithun
 पिता का नाम : मुनारिक
 Father's Name : Munarik
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2013 को आयु : 30
 Age on 01.1.2013

AK

पता सं. 0
 वार्ड/मोहल्ला : वीर गम्बर सिंह पल्ली
 गाँव/नगर : नगर निगम देहरादून
 परिवारी/सं.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून
 पिन - 248001

Address H.No : 0
 Street/Mohalla : Veer Gamber Singh Pally
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Police Station : Rajpur
 Post Office : Rajpur
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun
 PIN : 248001

30/01

Date: 30/01/2013
 निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक दफितीकरण
 अधिकारी की हस्ताक्षर की संज्ञा
 Candidate Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22 Musorie Constituency

आयु 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को निर्वाचक के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता है।
 A person below the age of 18 years cannot be registered as an elector.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 573 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 23/05/24

सेवा में,

श्री कल्पेश्वर दास पुत्र श्री रविदारा,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- नदी/रास्ता
3. उत्तर - मंदिर
4. दक्षिण- रामचरण

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के प्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

2972

21-2019

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 575/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:-

22/05/24

सेवा में,

श्री कमलेश सहानी पुत्र श्री राजेन्द्र सहानी,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 85 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- डांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रामचरण
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र स0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

DEHRADUN NAGAR NIGAM -Property				
Tax Online Payment				
नगर निगम देहरादून				
बिल (भवन कर)				
बिल क्रमांक :	[REDACTED]			
बिल की तिथि :	[REDACTED]			
सॉफ्टवेयर कोड :	[REDACTED]			
भवन स्वामी का नाम व पता :	कमलेश सहनी (मातामिर्गाण के स्वामी) . वीर गम्बर बस्ती तरला नागल भाग 3 कैनाल रोड देहरादून			
वर्तमान कर :	850.00			
कुल अवशेष :	3765.00			
20% छूट के उपरान्त वर्तमान कर:	680.00			
देय धनराशि :	4445.00			
अवशेष 2014	अवशेष 2015	अवशेष 2016	अवशेष 2017	अवशेष 2018
788.00	709.00	709.00	709.00	850.00
		Print	New	

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 577/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

रोवा में,

श्री वरुण,
वीर गब्बर बरती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खरारा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा ... वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रारता
3. उत्तर - कगलेश
4. दक्षिण- दिनेश चन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ सलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

ज्योति रूरल एण्ड क्राफ्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी

सौजन्य से रिसर्च इंडिया
ग्राम व पो 0 कण्डोली, मकान न० 542, राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Mob. 9897166487

रजिस्ट्रेशन संख्या -- 745

टाईफाइड/हेपेटायटीस "बी"
मुक्त भारत

कार्ड फीस 10 रु०

टाईफाइड	75 रु०
प्रथम डोज	40 रु०
द्वितीय डोज	40 रु०
तृतीय डोज	40 रु०

शिविर का विवरण

दिनांक 28/8/00

बजे तक 12/5/00

स्थान शिव मन्दिर

गिस्पर सिंह वस्ती

Regd. No. 745 Regd. Date 28/8/00

Name गिस्पर सिंह Sex M Age 1 साल

Father's/Husband Name मल्लवम सिंह

Address गिस्पर सिंह वस्ती डिकुडा

Venue शिव मन्दिर गिस्पर सिंह वस्ती डिकुडा

Dose	1 st Dose	2 nd Dose	3 rd Dose	1 st Booster	2 nd Booster	Typhoid	Sign. Promoter
Time	12/5/00						
Date	28/8/00						

अवश्यक निर्देश

1. स्कूहई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी कितना प्रत्येक विषय के प्राप्तियों का योग 33 प्रतिशत या उससे अधिक होगा उतीर्ण पंजित किया जाएगा।
2. कक्षा-6 से 9 एवं 11 के दो परीक्षार्थी स्कूहई परीक्षा सहित अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के योग में अधिकतम दो विषयों में अनुत्तीर्ण होगा, उनको अधिकतम निर्धारित अंक का कुल अंक उतीर्ण पंजित किया जाएगा।
3. दो परीक्षार्थी जिनके द्वारा किसी एक सम्पूर्ण परीक्षा (अर्द्धवार्षिक या वार्षिक) में शिक्षित्सा प्रमाण-पत्र (सहाकारी अत्यात्मक के शिक्षित्सा अधिकारी का शिक्षित्सा प्रमाण-पत्र अथवा शिक्षित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) प्रस्तुत किया हो, उन्हें निर्धारित कुपांक देय होगा।
4. कक्षा में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी वही परीक्षार्थी होगा जो स्कूहई परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य सहित अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ हो तथा जिसके प्रत्येक विषय में प्राप्तियों का योग 33 प्रतिशत या अधिक है।
प्रारंभिक कार्य वाले विषय में विद्यार्थी को अलग से 33 प्रतिशत अंक शिक्षित्सा में और 33 प्रतिशत अंक प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल 33 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। उन विषयों में जिनमें सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्य 3 ट्यग-अलग हैं, के प्रत्येक भाग में 27 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही परीक्षार्थी कुपांक पत्र का अधिकारी होगा।
5. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भोजनित दी जायेगी।
6. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों हेतु उन विषयों में जिनमें प्रायोगिक/प्रोजेक्ट कार्य है, प्रायोगिक/प्रोजेक्ट कार्य का परांश अंशने पंजीकरण केन्द्र में देनी होगी।
7. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित कुपांक अधिकतम 02 विषयों में दिया जायेगा।
8. अभिभावकों से अपेक्षा है कि वे अपने बच्चों की नियमित प्रगति से अवगत रहें तथा प्रत्येक परीक्षा के उपरान्त प्रगति विवरण को तथा स्थान इस्ताक्षर के उपरान्त कक्षाव्यापक के पास व्यक्तिगत रूप से जमा करा दें।

29 शिक्षा विभागी-उत्तराखण्ड



जनपद-देहरादून

सत्र : 2010-2011

प्रगति पत्रिका

छात्र/छात्रा का नाम वसुधा कुमार
 माता का नाम श्रीमती अनिता देवी
 पिता का नाम श्री अश्वराम शिर
 कक्षा VII वर्ग अनुक्यांक
 छात्र/छात्रा पंजीका संख्या [Redacted]
 पता सी. ए. रोड, शिर, देहरादून
 र. पिता/अभिभावक

शिक्षण
 835
 5

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 579 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री राकेश,
वीर गब्वर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 बर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सोनी
4. दक्षिण- सतेश्वरी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

लिंग / Sex : महिला / Female
 जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1988 / 30
 Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- वीर गबबर सिंह बस्ती तरका नागल, पो.- गुजरगा, देहरादून- देहरादून, जिला- देहरादून-248001
 Address : Vill.- Vr Gabber Singh Basti Tara Nagal, P.O- Gujraa, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248001

[Signature]

निर्वाचन एगिस्ट्रीकरण अधिकारी
 Electoral Registration Officer

Date : 09-04-2018

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 19 - रायपुर
 Assembly Constituency No & Name : 19 - Raipur
 नाम संख्या और नाम : 4 - बहादुर सिंह कैसी राजकीय इंटर कॉलेज , गुजरगा
 Part No and Name : 4 - Bahadur Singh Megl Government Inter College , Gujraa R.No. 2

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया प्रत्येक चुनाव से पहले निर्वाचक नामावली में जांच लें।
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में उम्रधारण के अर्थ में प्रमाण के रूप में नहीं मान्य जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग.
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता छोटे पहचान कार्ड - ELECTORAL PHOTO IDENTITY CARD



नाम : बंधुपी

Name : ANGURI

पति का नाम : केशव राम

Husband's Name : KESHAV RAM

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 581 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,


श्रीमती आशा मसीह पत्नी श्री अशोक मसीह,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सतेश्वरी
4. दक्षिण- दलीप

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 20/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का काम करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



भारत सरकार
Sovereign India



अशोक मशीह
Ashok Mashi
जन्म तिथि/DOB: 10/02/1977
पुरुष/ MALE

Issue Date: 15 09 2020



मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



II:
एम. जे. सत्यनारायण दास, बीर मगर गिरी बरती, केपल
वे राजपुर मार्ग, देहरादून, देहरादून, देहरादून,
उत्तरांचल - 248001

Address:
M. J. Satyanarayan Das, Beer Mager Giree Barati, Kopal
W. Rajpur Marg, Dehradun, Dehradun, Dehradun,
Uttarakhand - 248001



8 4 9
1 1 5

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 583/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक-

22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबीता दवी पत्नी श्री संजोग,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 26 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सतेश्वरी
4. दक्षिण- दलीप

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c



भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/78439/69109

To
Babita
Babita
W/O Sanjog
222 Veer Gabber Singh Basti
Tarla Nagal Post- Gujrara
Dehradun
Dehradun
Chakrata Dehradun
Uttarakhand 248001

23/02/2015

74569387

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :



मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



Babita
Babita
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1988
महिला / Female

मेरा आधार, मेरी पहचान



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या-584/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक-22/05/24

सेवा में,

श्री शिव कुमार पुत्र श्री काशी दास,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 70 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - नदी
4. दक्षिण- सुभाष

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : रेखा देवी
 Elector's Name : Rekha Devi
 पति का नाम : शिव कुमार
 Husband's Name : Shiv Kumar
 लिंग / Sex : महिला / Female
 11 2013 की आयु : 30
 Age as on 11/2013

पता : नम : 0 REA0173118
 गली/मोहल्ला : वीर गग्गर् साघ बास्ट
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/लेख : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन 248601
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून
 Address 11/2013 : 0
 Street/Mohalla : Veer Gabbher Singh Bast
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Lekh : Jakhun
 Police Station : Rajpur Pin 248601
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date: 11 Mar 2013

30/975

22-समूची निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक: संश्लेषीकरण
प्रक्रिया के महाधर की प्रकृति

Facsimile Signature of the Regional Returning Officer for 22 Municipal Constituency

30/975
[Signature area with text: The use of facsimile signature is permitted for the returning officer in the poll in the Municipal Constituency...]

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 587 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:-

22/05/24

सेवा में,

श्री मनोज राम पुत्र श्री रमेश राम,
वीर गम्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - विजेन्द्र
4. दक्षिण- गणेश राय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्यन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c


प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु विधि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c



निर्वाचक का नाम : मनीज
 Elector's Name : Manoj
 पिता का नाम : रेशम राम
 Father's Name : Resham Ram
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2013 को आयु : 34
 Age as on 1.1.2013



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 588 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री गणेश राय पुत्र श्री रामदेव राय,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - मनोज
4. दक्षिण- विमल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

Customer History

Consumer ID	[REDACTED]	SV TV No	[REDACTED]
Consumer No	[REDACTED]	SV TSV Date	02-09-2016 ✓ 10-08-2016
Consumer Name	Ganesh Ray	Gender	Male
Consumer Address	0 BIR GABBAR SINGH, BASTI CANAL ROAD, DEHRADUN-248001 DEHRADUN, Uttarakhand India	Address Proof	Electricity Bill Aadhaar(UID) [5581]
Mobile	8396098064	Scheme Onboarding Status	Onboarded With CTC
Scheme Opted	Default Opt In	Scheme Type	General
Latitude		Longitude	

S.No.	Equipment Name	Equipment Amount
1	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
2	LPG DGCC Blue Book	0
3	LPG Pressure Regulator - Non Valuated	150
4	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
Total Amount		3050

Handwritten notes:
150449
Doon Vival Gas Service
Phone No: 92736777

Book No	Book Date	Cash Memo No	Cash Memo Date	Delivery date	Equipment Type	RSP	Cylinders	Delivered By	Booking Status	Latitude	Longitude	Mode of Payment
[REDACTED]	18-06-2024	[REDACTED]	08-06-2024 08:11:46	12-06-2024 11:31:18	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Cash
[REDACTED]	15-05-2024	[REDACTED]	15-05-2024 11:05:10	17-05-2024 12:09:50	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648785	78.0677720	Manual Digital
[REDACTED]	04-05-2024	[REDACTED]	04-05-2024 10:43:51	11-05-2024 04:44:52	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Cash
[REDACTED]	09-04-2024	[REDACTED]	09-04-2024 08:17:04	14-04-2024 03:59:58	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Cash
[REDACTED]	25-02-2024	[REDACTED]	25-02-2024 09:43:11	28-02-2024 09:12:07	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3747450	78.0864333	Manual Digital
[REDACTED]	26-01-2024	[REDACTED]	26-01-2024 10:48:01	31-01-2024 12:17:12	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648870	78.0677273	Manual Digital
[REDACTED]	27-12-2023	[REDACTED]	27-12-2023 08:58:17	31-12-2023 12:28:18	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Manual Digital

भारत सरकार
Government of India




Aadhaar no. issued: 03/04/2012



गणेश राय
Ganesh Ray
जन्म तिथि/DOB: 20/12/1975
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
इसका उपयोग (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन XML के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

नेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India




पता:
C/O रामदेव राय, वीर गम्बर सिंह बस्ती भाग-3, लखन
नामन, देहरादून, देहरादून जी.पी., देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001

Address:
C/O Ramdev Ray, vir gambhar singh basti
Basti 3, naman, Dehradun, P.O. Dehradun
G.P. DIST: Dehradun,
Uttarakhand - 248001

www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 591 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती प्रमीला पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पंवार,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 58 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - शशी
4. दक्षिण- संजय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-


1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTIFICATION CARD


नाम : प्रमिला देवी
Name : Pramila Devi
पति का नाम : सुरेन्द्र पंवार
Husband's Name : Surendra Panwar

लिंग / Sex : महिला / Female
 जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1990 / 24
 Date Of Birth / Age

पता : H.No.1, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, महेहीम-
 देहरादून, जिला- देहरादून-248009
 Address : H.No.1, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-
 Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचन अधिकारी
 Electoral Registrar Officer

Date : 21-01-2014

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसोरि
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
 मत क्षेत्र और नाम : 32 - राजकीय इंटर कॉलेज अंचल बारा, मिशनर बारा
 Part No 3)
 Part No and Name : 32 - Government Inter College (Left Side)
 Misraipur (Left Part No 3)

नोट / Note :
 1 इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन मतदाता की श्रेणी में शामिल हैं। कृपया अगले आम निर्वाचन चुनाव से पहले वर्तमान मतदाता की जांच करें।
 More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
 2 इस कार्ड से पंजीयन के संबंध में कोई गारंटी नहीं है। निर्वाचन के अगले आम निर्वाचन से पहले मतदाता की जांच करें।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 593 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कमलेश पत्नी राकेश,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिसयना रकबा 64 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - संध्या
4. दक्षिण- दीपा नेगी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे बसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


भारत सरकार
Government of India


Aadhaar no. issued: 22/10/2014



कमलेश कुमारी
Kamlesh Kumari
 जन्म तिथि/DOB: 05/02/1982
 महिला/ FEMALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं।
 Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML)

मेरा आधार, मेरी पहचान


भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India


पता
 श्री. राकेश कुमार वीर गब्बर सिंह बस्ती, राजपुर, देहरादून,
 देहरादून, देहरादून,
 पिनकोड - 248001

Address
 C/O Rakesh Kumar Veer Gabbar Singh
 Basti Rajpur, Dehradun, PO Dehradun,
 DIST. Dehradun,
 Uttarakhand - 248001

1800 121 2345 | 011 2612 1234 | www.aadhaar.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या-595/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री पिन्दू,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिसपना रकवा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - दीपा नेगी
4. दक्षिण- मंजू

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 0/c देहरादून।



08/12/2014

नोटिस संख्या- 599/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री पंकज पुत्र श्री सुरेश सिंह,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 75 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - चन्द्र पाल
4. दक्षिण- राजवीर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।

276

599

2999


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD




निर्वाचक का नाम : पंकज
 Elector's Name : Pankaj
 पिता का नाम : स्व. सुरेश सिंह
 Father's Name : Late Suresh Singh
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2013 को आयु : 21
 Age as on 1.1.2013

पता नं. : 0
 गली/मोहल्ला : वीर गड्ढर सिंह बस्ती
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ते.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 246001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No : 0
 Street/Mohalla : Veer Gadbher Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigan Dehradun
 Patwari/Lekh : Jakhn
 Police Station : Rajpur Pin - 246001
 Post Office : Rajpur
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013 30/988
 22-मुसोरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

यह पहचान पत्र, जो कि एक अलग रूप निर्वाचक-पंजीयनी में दर्ज कराया जाय उस पर ही
 इसी नम्बर का बतल पत्रों से ही सम्बन्धित पत्रों में यह कार्य करने अर्थात् प्रेषित।
 In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for inclusion
 of your name in the roll of the changed address and to obtain the card with same number.

856

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 602/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह,
वीर गब्बर बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 195 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- नदी
3. उत्तर - डोली
4. दक्षिण- चमन सिंह

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मीके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।




अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।


 भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : पुष्पा देवी
 Name : PUSHPA DEVI
 पति का नाम : सुबेन्दर
 Husband's Name : SULENDAR

लिंग / Sex : महिला / Female
 जन्म तिथि / आयु : XX/XX/1985 / 30
 Date Of Birth/ Age

पता : म.नं.0.1, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील-
 देहरादून, जिला- देहरादून-248009
 Address : H.No.1, Veer Gabber Singh Basti P.O-
 Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी
 Electoral Registration Officer

Date : 20-06-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसोरी
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
 भाग संख्या और नाम : 39 - गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बाया बायीं, सिविल बाया
 भाग नं. 3)
 Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Side)
 Part No (Left Part No 3)

ध्यान / Note :
 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अर्थ में मान्यता नहीं दी जाती है। अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए इसे गारंटी के रूप में नहीं माना जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purposes other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 604 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टारक फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 104 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रमेश
2. पश्चिम- सूरज
3. उत्तर - चमन
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षक अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षक अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c



भारत सरकार
Government of India



मुकेश कुमार
MUKESH KUMAR
जन्म तिथि/DOB: 06/02/1978
पुरुष/ MALE

Aadhaar no. Issued: 02/02/2014

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



पता:
S/O पुरन लाल, विर गबर सिंह बस्ती, तर्ला नागल भाग-3,
देहरादून, देहरादून ग.प, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001

Address:
S/O Puran Lal, Veer Gabar Singh BAsTi, Tarla
Nagal Bhag-3, Dehradun, PO: Dehradun G.p,
DIST: Dehradun,
Uttarakhand - 248001

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



आधार

Aadhaar No. Issued: 020922014



मुकेश कुमार
MUKESH KUMAR
जन्म तिथि/DOB: 06/02/1978
पुरुष/ MALE



मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत आधिपत्य पहचान प्राधिकरण
भारत आधिपत्य पहचान प्राधिकरण/Authority of India



AAADHAAR

पता:
S/O पुरन लाल, वीर गबर सिंह बस्ती, तार्ला नागल भाग-3,
देहरादून, देहरादून ग.प, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001

Address:
S/O Puran Lal, Veer Gabar Singh Basti, Tarla
Nagal Bhag-3, Dehradun, PO: Dehradun G.p,
DIST: Dehradun,
Uttarakhand - 248001



1047

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 605/एम0डी0टी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कुसुम पत्नी श्री प्रदीप कुमार,
कैनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 56 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- बबीता
2. पश्चिम- सूरज
3. उत्तर - घमन
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सन्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0टी0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 o/c

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि.		
Bill/Invoice		
GS (MIS) 05AAACU6007G1ZP		
खिल सं.		
कनेक्शन सं.	बिल तिथि	
	06/07/2021 तक	
07/05/2021	06/07/2021	तक
खण्ड 1	2.0	उपखण्ड 07/2021
वेब तिथि	DEHRADUN NORTH	बिलिंग तिथि ANARWALA
नाम	21/07/2021	05/08/2021
पता	Mrs. KUSUM TARLA NAGAL VIR GABBAR SINCH RASTI P O KULHAN VIR GABBAR SINCH DH-BASTI	
मीटर सं.	स्वीकृत भार	एम.एफ. 1.0KW
श्रेणी	14920651	साल्ट 1.0 प्रकार
	RTS-1	10.1
	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग
		बिल्ड यूनिट
Kwh	364	659
Kvah	364	659
PF:	0.85	MU
बिल विवरण		
विद्युत मूल्य @		
	2.8/4.0/	940.0
फिक्स चार्ज दर		
फिक्स चार्ज (आधिक्य)		240.0
वोल्टेज पर छूट/अधिभार (+/-)		0.0
कैपे. /एलपी.एफ. अधिभार (+)		0.0
सालर वाटर हीटर छूट		0.0
अस्थायी जमा समायोजन/माह (-)		0.0
अन्य देय		0.0
सुधारण को धरि		0.0
FUEL CHARGES @ 0.0		
विद्युत कर @		
श्रीन कर @	0.15	44.25
		0.0
वर्तमान योग		
पिछले बिल की देय धनराशि		1224.25
INT. CREDITED		0.0
विलम्ब शुल्क अधिभार		934.0
		23.35
कुल देय		
		2182
पिछले 22/07/2020		505.0
बिल भुगतान राशि		
21/07/2021 तक		₹ 2193
21/07/2021 धार		₹ 2209
20/08/2021 धार		₹ 2236

COUNTERFOIL

For SMS Alert, Pl. Provide Your mobile No.here.....

कनेक्शन सं. 7011121396951

खिल सं.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 607/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री ललित राम पुत्र श्री सुरेन्द्र राम,
कौनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अंजली
2. पश्चिम- नदी, मुराठी
3. उत्तर -
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षक अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 e/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षक अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
 e/c



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B 6296415

कार्यालय ANARWALA

सर्विस कनेक्शन संख्या : 344 [REDACTED] 002 दिनांक:- 23-May-2010
 एकाउन्ट संख्या : 484 [REDACTED] 0 Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम : Mr. LALIT RAM, VIR GABDAR SINGH BASTI, TARLA

कुल देय राशि : ₹ - Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT ₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES ₹ 600.00

प्राप्त राशि Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण ₹ 1800.00

संख्या : दिनांक : (Rupees One Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या

11 / सचिव के हित में बिजली बचाये

कस्टमर केयर टोल फ्री न. 1800-419-0405

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर
 एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 609 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री संजोग राम पुत्र श्री शिव राम,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अंजली
2. पश्चिम- नदी, मुराठी
3. उत्तर -
4. दक्षिण- रास्ता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

दि नैनीताल बैंक लि० The Nainital Bank Ltd.

CANAL ROAD DEHRADUN-142
28/5 CANAL ROAD

शाखा

Branch

नाम

Name (s)

व्यवसाय

Occupation

पता

Address

खाता क्र.

Account No.

तारीख / Date

SANYOG RAM

VIR GABBAR SINGH BASTI

BHAG-3 TARLA NAGAL-3

DEHRADUN

04-12-2011



NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

IFSC CODE-

MICR CODE-

Nominee NO

Customer Id

भुगतान आदेश

Payment Instructions



प्रबंधक / Manager

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 610 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री पवन पुत्र श्री जवाहर माझी,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह वस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मोनू
2. पश्चिम- अनीता
3. उत्तर - सड़क
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्वन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD




निर्वाचक का नाम : पंकज
 Elector's Name : Pankaj
 पिता का नाम : जवाहर लाल
 Father's Name : Jawahar Lal
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2013 को आयु : 20
 Age as on 1.1.2013 : 20

पता सं : 0
 गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ले.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address II No : 0
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Parwari/Lekh : Jakhan
 Police Station : Rajpur Pin - 248001
 Post Office : Rajpur
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 14 Mar 2013 30/1005
 22-मसूची निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सजिस्ट्रीकरण
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussourie Constituency

The elector should affix his or her stamp on this card and take it to the nearest Form for the filling
 of the card in the roll at the stamped address and to attach the card with that number

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 612/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पूजा पत्नी श्री सुशिल कुमार,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 28 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सरोज
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - श्री चन्द
4. दक्षिण- अनिता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।



855



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 614 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती अनिता पत्नी श्री मलखान सिंह,
कैनाल रोड़ वीर गब्वर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 99 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- अनिता
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- श्री चन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कच्चा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 615/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री जवाहर यादव,
कैनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 44 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रूपेश
2. पश्चिम- अनिता
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- श्री चन्द

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के ढकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिक्रिया:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु लिखि निर्धारित करने का कार्य करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



INDIAN GAS SERVICE (0000156449)
 GAS VIKAS, DOON VIHAR",
 BAKHAN, DEHRADUN",
 UTTARAKHAND, DEHRADUN, DEHRADUN, Uttarakhand-248009
 India
 GSTIN:



Generated on : Thursday, 27-Ju

Customer History

Consumer ID	[REDACTED]	SV TV No	[REDACTED]
Consumer No	CX12990305	SV TSV Date	19-09-2018 17-09-2018 10-10-2014 11-12-2019
Consumer Name	Ranjeet Kumar	Gender	Male
Consumer Address	VIR GABBAR SINGH BASTI, BHAG-3, RAJPUR ROAD, DEHRADUN-248001 DEHRADUN, Uttarakhand India	Address Proof	Aadhaar(UID) [5066] Electricity Bill Voter Identity Card Driving Licence
Mobile	9897217143	Scheme Onboarding Status	Onboarded With CTC
Scheme Opted	Default Opt In	Scheme Type	General
Latitude		Longitude	

Sl.No.	Equipment Name	Equipment
1	14.2 Kg LPG Cylinder	
2	14.2 Kg LPG Cylinder	
3	LPG Pressure Regulator - Non Valuated	
Total Amount		

Book No	Book Date	Cash Memo No	Cash Memo Date	Delivery date	Equipment Type	RSP	Cylinders	Delivered By	Booking Status	Latitude	Longitude	Mode of
[REDACTED]	01-03-2024	5-103928998832	01-03-2024 08:44:02	02-03-2024 09:49:48	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3747017	78.0863867	Manual
[REDACTED]	24-01-2024	5-103819180219	24-01-2024 07:56:15	31-01-2024 04:49:39	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			CI
[REDACTED]	05-12-2023	5-103676316614	05-12-2023 07:45:19	09-12-2023 11:24:20	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3642340	78.0692938	Manual
[REDACTED]	03-11-2023	5-103587260136	03-11-2023 07:27:17	05-11-2023 10:17:59	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3746873	78.0863781	Manual
[REDACTED]	16-09-2023	5-103459773298	16-09-2023 12:02:27	19-09-2023 04:38:27	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			CI
[REDACTED]	08-08-2023	5-103354325917	08-08-2023 07:26:02	09-08-2023 11:06:01	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	1122 859	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3746665	78.0863179	Manual
[REDACTED]	23-06-2023	5-103236052714	23-06-2023	27-06-2023	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	1122	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648795	78.0871531	Manual

875

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 618 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती राखी देवी पत्नी श्री वटी कुमार,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- खाली
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - मन्दिर
4. दक्षिण- नीतू देवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Customer History

Consumer ID	[REDACTED]	SV TV No	[REDACTED]
Consumer No	15188	SV TSV Date	20-10-2020 23-01-2013
Consumer Name	Banti Kumar S/o Sunder Lal	Gender	Male
Consumer Address	VIR GABBAR SINGH BASTI, CANAL ROAD, DEHRADUN, DEHRADUN-248001 DEHRADUN, Uttarakhand India	Address Proof	Water Bill Voter Identity Card Aadhaar(UID) [3379]
Mobile	8 [REDACTED]	Scheme Onboarding Status	Onboarded With CTC
Scheme Opted	Default Opt In	Scheme Type	General
Latitude		Longitude	

SLNo.	Equipment Name	Equipment Amount
1	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
2	LPG Pressure Regulator - Non Valuated	150
3	14.2 Kg LPG Cylinder	1450
Total Amount		3050

M/S Indian Gas Service
 1500449
 Doon Vihar, Jakhan, D. Doon
 phone: 01352736722

Book No	Book Date	Cash Memo No	Cash Memo Date	Delivery date	Equipment Type	RSP	Cylinders	Delivered By	Booking Status	Latitude	Longitude	Mode of Payment
[REDACTED]	19-05-2024	5-104145620116	19-05-2024 08:29:18	19-05-2024 11:18:21	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648784	78.0677436	Manual Digital
[REDACTED]	06-04-2024	5-104036424580	07-04-2024 06:22:19	07-04-2024 11:44:06	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648704	78.0677284	Manual Digital
[REDACTED]	09-03-2024	5-103957568706	09-03-2024 04:19:38	10-03-2024 12:06:57	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	822	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648335	78.0677350	Manual Digital
[REDACTED]	20-01-2024	5-103810161071	20-01-2024 01:47:33	21-01-2024 05:18:07	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648796	78.0677167	Manual Digital
[REDACTED]	09-12-2023	5-103689703009	09-12-2023 12:17:02	10-12-2023 11:19:59	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Manual Digital
[REDACTED]	18-11-2023	5-103629354076	18-11-2023 12:52:40	19-11-2023 11:10:46	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648740	78.0677337	Manual Digital
[REDACTED]	21-10-2023	5-103554827289	21-10-2023 04:05:05	22-10-2023 11:11:47	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648453	78.0677372	Manual Digital
[REDACTED]	05-09-2023	5-103428992766	05-09-2023 01:20:02	06-09-2023 12:53:07	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	922	1	SUNIL BHANDARI	Completed			Cash
[REDACTED]	22-07-2023	5-103314611318	22-07-2023 08:26:10	23-07-2023 11:03:16	14.2 Kg LPG Cylinder - Filled	1122	1	SUNIL BHANDARI	Completed	30.3648809	78.0677484	Manual Digital

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 620 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती किरन पत्नी श्री राजा गोदियाल,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 28 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- दीपा
2. पश्चिम- नीतू देवी
3. उत्तर - राखी
4. दक्षिण- अज्ञात

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैरसरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



Unique Identification Authority of India

Address:
W/O-Raja Godiyal, VIR GABBAR SINGH BASTI,
GUJRARA, CANAL ROAD, Dehradun, Shamshergarh,
Uttarakhand, 248001



1947



help @ uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

Enrollment No.: 2189/49779/03401

To
Kiran Devi
W/O Raja Godiyal
VIR GABBAR SINGH BASTI GUJRARA
CANAL ROAD
Dehradun
Shamshergarh
Chakrata Dehradun
Uttarakhand 248001

06/12/2011
0339339

MD888393394FH

आपका आधार क्रमांक / Your Aa

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
Government of India



Kiran Devi
Husband : Raja
DOB : 06/03/1982
Female

मेरा आधार, मेरी पहचान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 621 /एम0डी0डी0ए0 /एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती दीपा पत्नी श्री रिकू,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 12 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- किरन
3. उत्तर - सड़क
4. दक्षिण- गढ़वाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्वन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण/अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण/अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।


भारत
संघ

ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD


[REDACTED]



नाम : रंकिश
Name : RINKISH
पिता का नाम : सुरेश
Father Name : SURESH

लिंग/Sex : Male
जन्मदिनांक/Date Of Birth/Age : 1993-02-01
पता : पुलिस स्टेशन-रायपुर देहरादून, गबबर सिंह बस्ती देहरादून, जिला-देहरादून
 Address : Police Station-Raypur dehradun , Gabbar Singh basti dehradun , District-Dehradun uttrakhand , Pin Code-248001
Date : 20/06/2014
Electoral Registration Officer

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम :
 - 149 raypur dehradun Room no 2
Assembly Constituency No. & Name :
 - 149 Raypur dehradun room no 2
भाग संख्या और नाम : Raypur Raypur
Part No. & Name : Raypur Raypur

ध्यान दें:
 1. इस कार्ड को अपने पास रखें और इसे हर बार मतदान करने से पहले जांचें।
 2. इस कार्ड को मतदान के लिए मतदान स्थान पर ले जाने से पहले जांचें।
 3. इस कार्ड को मतदान के लिए मतदान स्थान पर ले जाने से पहले जांचें।
 4. इस कार्ड को मतदान के लिए मतदान स्थान पर ले जाने से पहले जांचें।

Date of birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age or date of birth for any purpose other than registration in electoral rolls.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 622/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री पप्पू पुत्र श्री हरफुल सिंह,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 121 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सड़क
2. पश्चिम-
3. उत्तर - गढ़वाली
4. दक्षिण- काजल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 o/c देहरादून।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति A

दिनांक:-

कार्यालय :

सर्विस कनेक्शन ANARWALA

एकाउन्ट संख्या :

15-Feb-2016

उपभोक्ता का नाम :

Load : 1.0 KW

कुल देय राशि :

Mr. PAPPU, VIR GABBAR SINGH BASTI, TARLA NAGAL, E.

₹

Mode : Cash

प्राप्त राशि

SECURITY DEPOSIT

₹

1200.00

चैक/ ड्राफ्ट

SERVICE LINE CHARGES

₹

600.00

संख्या :

Payment Towards : NEW CONNECTION

दिनांक :

घनराशि :

बैंक :

₹ 1800.00

काउन्टर संख्या

(Rupees One Eight Zero Zero Only)

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचायें
कस्टमर केयर टोल फ्री न० 1800-419-0405
11 / sachinnanda2

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर
एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 623 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

हितबद्ध व्यक्ति (नाम नामालूम-गढ़वाली),
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 91 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- सरोज
3. उत्तर - दीपा
4. दक्षिण- काजल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c


प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c



लिंग / Sex : महिला / Female
 जन्म तिथि / आयु : 19/05/1990 / 24
 Date Of Birth/ Age
 पता : H.No.6/2, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर,
 तहसील- देहरादून, जिला- देहरादून-248009
 Address : H.No.6/2, Veer Gabber Singh Basti, P.O-
 Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009



निर्वाचक अभिलेखिक अधिकारी
Electoral Registration Officer
 Date : 14-08-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
 वार्ड संख्या और नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज बॉया बाग, मिनपुर, बाल
 वार्ड नं. 3)
 Part No and Name : 39 - Government Inter College (Lr. Sigh)
 Mshampur (Lr. Part R.No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक सभ्यता में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान सभ्यता में जांच लें।
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक सभ्यता में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी निधि में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं मान्य जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 624 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती काजल पत्नी श्री मुनेश,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 99 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- अनीता
3. उत्तर - अज्ञात
4. दक्षिण- गीता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 20/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि: राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

भारत सरकार
Government of India

आधार

आधार NO. ISSUED: 1810102014



मुनेश
Munesh
जन्म तिथि/DOB: 07/07/1991
पुरुष/ MALE

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
S/O सुरेश, वीर गब्बर सिंह बस्ती, भाग-3 तरला नागल,
वार्ड नं-59, देहरादून, देहरादून, देहरादून,
उत्तराखंड - 248001

Address:
S/O Suresh, VEER GABBAR SINGH BASTI,
BHAG-3 TARLA NANGAL, WARD NO-59,
Dehradun, PO: Dehradun, DIST: Dehradun,
Uttarakhand - 248001

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

मुनेश

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 625/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती गीता पत्नी श्री मलखान,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 63 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- अनीता
3. उत्तर - काजल
4. दक्षिण- खाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।


भारत-निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD





नाम : गीता
Name : GEETA
पिता का नाम : मलखान सिंह
Father Name : MALKHAN SINGH

लिंग/Sex : Female
जन्मतिथि/अनु : 1985-02-01
Date Of Birth/Age : 1985-02-01
पता : पुलिस स्टेशन-रायपुर देहरादून, गबबर सिंह बस्ती देहरादून, जिला-देहरादून
 उत्तरांचल, पिन कोड-248001
Address : Police Station-Raypur dehradun, Gabbar Singh basti dehradun, District-Dehradun uttrakhand, Pin Code-248001

Date: 06/03/2015 **निर्वाचक रजिस्ट्रार/अधिकारी**
 Electoral Registration Officer

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम :
 -149 raypur dehradun Room no 3
Assembly Constituency No. & Name :
 -149 raypur dehradun Room no 3
भाग संख्या और नाम : Raypur Raypur
Part No. & Name : Raypur Raypur

शर्तियाँ:
 1. इस कार्ड को धारण करने वाला मतदाता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उसका नाम
 वर्तमान निर्वाचक सूची में निर्वाचक के दफ्तरी कार्यालय में प्रवेश करने से पहले
 वर्तमान निर्वाचक सूची में है।
 More possession of this card is no guaranteed that you are
 elector of the current electoral roll. Please check your name
 in the current electoral rolls before every election
 2. इस कार्ड के उल्लेखित जन्म तिथि को निर्वाचक सूची में पंजीकरण के
 अथवा अन्य निर्वाचक सूची में मतदान के लिए मतदाता के नाम में
 सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण के रूप में
 Date of birth mentioned in this card shall not be treated as a
 proof of age or date of birth for any purpose other than
 registration in electoral rolls

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 626 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री अरविन्द पुत्र श्री परम सिंह,
कैनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खतरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 84 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - खाली
4. दक्षिण- खाली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की समुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c


 भारत सरकार
 Government of India
 


 अरविन्द कुमार
 Arvind Kumar
 जन्म तिथि/DOB: 05/05/1983
 पुरुष/ MALE


Download Date: 29/06/2020
 Issue Date: 18/09/2018


 मेरा आधार, मेरा पहचान


 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
 Unique Identification Authority of India
 

पता:
 C/O परम सिंह, बीर गब्बर बस्ती, तरला नागल, तरल
 नागल, देहरादून,
 उत्तराखण्ड - 248001

Address:
 C/O Param Singh, Beer Gabbar Basti, Tarla
 Nagal, Tarla Nagal, Dehradun,
 Uttarakhand - 248001




1947 | www.aadhaar.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 627/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री अमन पुत्र श्री अशोक,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - ज्योती
4. दक्षिण- सड़क


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 588/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

टोल फ्री नं. 1912

GST No: (UPCL) 05AAACU6007G1ZP

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

ANARWALA भगतान पावती मूल प्रति H

30-05-2012 02

दिनांक

कार्यालय

रसीद संख्या

सर्विस कनेक्शन संख्या Mr. AMAN

एकाउन्ट संख्या ₹ 808.00

Energy Charge ₹ 443.30

उपभक्ता का नाम Electricity Duty ₹ 23.40

कुल देय राशि Surcharge ₹ 14.81

Others ₹ 326.49

₹ 808.00

(Rupees Eight Zero Eight Only)

प्राप्त राशि

चैक/ड्राफ्ट विवरण

संख्या: 14 / विनांक kindly

धनराशि:

बैंक:

हस्ताक्षर
(संग्रहकर्ता)

काउन्टर संख्या

K.B. COMPUTER FORMS P. DUN

राष्ट्र एवं स्वयं के हित में बिजली बचाव

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 629 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री मातवर सिंह,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सुरेश
4. दक्षिण- ज्योती

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरवाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

लिंग / Sex: पुरुष / Male
 जन्म तिथि / Date of Birth: 17/07/1985 / 29
 पता - H.No.8/2, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो. - राहवर, देहरादून, जिला- देहरादून-248009
 Address - H.No.8/2, Veer Gabber Singh Basti, P.O. Raipur, Teh. Dehradun, Dist. - Dehradun-248009
 जारी तिथि / Issued On: 14-08-2015
 अधिकारी / Officer: [Redacted]
 पंजीकृत संस्था / Registered Party: 22 - भारतीय जनता पार्टी / Bharatiya Janata Party
 मतदाता श्रेणी / Category: 09 - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी / Rashtriya Swayamsevak Sangh Party
 पंजीकृत स्थान / Registered Place: 15 - Government College (Left Wing) / Government College (Left Wing)
 लिंग / Sex: पुरुष / Male
 1. इस कार्ड को धारण करने का यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन चक्र में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान मतदाता सूची में जांच लें।
 More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचन चक्र में पंजीकरण के अर्थ में नहीं देखा जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान कार्ड - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD
 [Barcode and Photo Area]
 नाम: माहवर सिंह
 Name: MATWAR SINGH
 पिता का नाम: दर्मान सिंह
 Father's Name: DARMAN SINGH

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 630 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री सुरेश,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 15 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- रास्ता
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - खाली
4. दक्षिण- मातवर सिंह

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c


 भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : सुरेश चन्द
 Name: **SURESH CHAND**
 पिता का नाम : गेंडा चन्द
 Father's Name: **GENDA CHAND**

लिंग / Sex : पुरुष / Male
 जन्म तिथि / आयु : XXXXX/1979 / 37
 Date Of Birth/ Age

पता : H.No.3, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, उधसीम-
 देहरादून, जिला- देहरादून-248009
 Address : H.No.3, Vir Gabbar Singh Basti, P.O-
 Rajpur, Teh:- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Date : 04-11-2019
 निर्वाचन एगिस्ट्रेशन अधिकारी
 Electoral Registration Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसौरा
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
 स्कूल संख्या और नाम : 45 - न्यू लाइफ सेंटर स्कूल नं 1, किशनपुर
 Part No & Name : 45 - new life center school no 1, Kishanpur

नोट / Note :
 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन सभासदों में शामिल हैं। चुनाव लगने-आने प्रत्येक चुनाव से पहले अपना नामावली में जांच लें।
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचन आयोग/आयुक्तियों में उम्मीदवारों के अत्याचार/अन्याय/भ्रष्टाचार के लिए या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 634 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती मोना पत्नी श्री रिकु,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 77 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- राहुल
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - रविता
4. दक्षिण- मातवर

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



उत्तराखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)

DEPARTMENT OF MEDICAL HEALTH & FAMILY WELFARE
DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN

जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Uttarakhand Registration of Births and Deaths Rules 2003)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून तहसील देहरादून जिला देहरादून राज्य उत्तराखण्ड के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body) DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN of tahsil/ block DEHRADUN of District DEHRADUN of State/ Union territory UTTARAKHAND

नाम / Name DEV लिंग / Sex MALE
जन्म तिथि / Date Of Birth SEP 20, 2013 AT 12:48 PM जन्म स्थान / Place Of Birth DISTRICT WOMEN HOSPITAL, DEHRADUN

माता का नाम / Name Of Mother MONA
पिता का नाम / Name Of Father RINKU

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता /
Address of parents at the time of birth of the child
VEER GABBAR SINGH BASTI RAJPUR ROAD,
DEHRADUN - UTTARAKHAND, INDIA

माता पिता का स्थाई पता /
Permanent address of parents
VEER GABBAR SINGH BASTI RAJPUR ROAD,
DEHRADUN - UTTARAKHAND, INDIA

पंजीकरण संख्या / Registration No. XXXXXXXXXX

पंजीकरण दिनांक / Date Of Registration SEP 20, 2013

टिप्पणी / Remarks (if any)

जारी करने की तिथि / Date Of Issue MAR 22, 2014

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of issuing authority

Sub Registrar, Birth & Death/
Chief Medical Superintendent
District Women Hospital
Dehradun

"Ensure registration of every birth and death प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।"

भारत सरकार
Government of India




रिंकु
Rinku
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1981
पुरुष/ MALE

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India




पता:
वीर गब्बर सिंह बस्ती, राजपुर, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248009

Address:
Veer Gabbar Singh Basti, Rajpur,
Dehradun, Dehradun,
Uttarakhand - 248009

1947 | help@uidai.gov.in | uidai.gov.in

Rinku

3046

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 635/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती रविता पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 28 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- शिवम
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- मोना

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के दकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कार्य करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

भारतीय विहित पहचान प्राधिकरण
 Government of India

Issue Date: 24/02/2015

Rawla Devi
 Date of Birth/DOB: 01/01/1994
 Female/ FEMALE

मेरा पहचान

भारतीय विहित पहचान प्राधिकरण
 Unique Identification Authority of India

Address:
 C/O: Dharendra Kumar, vmer gabber singh
 basti, Kishanpur, Dehradun,
 Uttarakhand - 248009

1047 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 636 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री शिवम पुत्र श्री विक्रम,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रविता
3. उत्तर - बबली
4. दक्षिण- राहुल

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सीपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण/अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

SO, BANASTRADHARA ROAD, DEHRADUN
 BANASTRADHARA ROAD, DEHRADUN

खाता विवरण/ACCOUNT PARTICULARS

MICR CODE: 248024028 IFSC Code: PUNABN02500

ee-18001802222-18001032222, Toll free-01202444000, Fax

#Principal Nodal Officer: Phn-01202444007

PF# No: NA

CIF Id: [REDACTED] ber: SELF

A/C No: [REDACTED] MR Aadhaar: XX2313

MR SHIVAM UJJINWAL

Account Open Date : 01-09-2013

CO RAVI KUMAR VEER GABBAR SINGH

BASTI BHAG TARLA NAGAL BHAG OS

DEHRADUN

UTTARANCHAL

INDIA

Pin: 248001

Nomination Registered at Sl.No. : 1079420-300

Date of Issue : 20-05-2013



count.
Mobile Number.

Link your /
Submit self certified

बचत बैंक खाते के साथ अपने आधार नम्बर को जोड़े।
 आधार नम्बर की स्व सत्यापित प्रति एवं मोबाइल नम्बर प्रस्तुत करें।

प्राधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorised Official/Manager
 कम्प्यूटर द्वारा सृजित विवरणियों पर किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करने / आद्याक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सृजित पासबुक / विवरणी पर हस्तालिखित (मैन्युअल) प्रविष्टियां स्वीकार न करें।
 Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 637/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बबली पत्नी श्री प्रदीप,
कैनाल रोड वीर गन्धर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा न0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 84 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- मोहन
3. उत्तर - ढांग
4. दक्षिण- शिवम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इरा आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की समुक्त टीम द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


 भारत सरकार
 Government of India
 
 आधार

Issue Date: 08/02/2015
 
 बबली
 Babli
 जन्म तिथि/DOB: 28/06/1978
 महिला/ FEMALE




मेरा आधार, मेरी पहचान


 भारतीय विधिक पहचान प्राधिकरण
 Unique Identification Authority of India
 
 AADHAAR

पता:
 ज्ञाना: प्रदीप, वीर गबर सिंह बस्ती भाग 3, शिव मंदिर,
 कुल्हन, किशनपुर, तारल नगल, देहरादून,
 उत्तराखण्ड - 248001

Address:
 C/O: Pradeep, Veer Gabar Singh Basti Bhag
 3, Shiv Mandir, Kulhan, Kishanpur, Tarla
 Nagal, Dehradun,
 Uttarakhand - 248001





1947 | help@uidai.gov.in | uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 638...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सरोजनी पत्नी श्री मोहन,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टारक फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 60 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- बबली
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - पूनम
4. दक्षिण- गली

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्वन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Enrollment No.: 0661/30041/00727

To
Sarojani Devi
C/O Mohan Singh
6/44- R GABBAR SINGH BASTI BHAG 3,
TARAI NAGAR BHAG 3,
VTC, Dehradun,
PO: Dehradun,
Sub District: Chakrata, District: Dehradun,
State: Uttarakhand
PIN Code: 248001
Mobile: [REDACTED] [REDACTED]

23/09/2014

/594113



भारत सरकार
Government of India



Sarojani Devi
DOB: 01/01/1976
Female

23/09/2014



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 639.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री रवि कुमार पुत्र श्री चमन,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 21 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - बन्टी
4. दक्षिण- सरोजनी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c



भारत सरकार




3055

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0647/00093/79702

To
रवि कुमार
Ravi Kumar
S/o Chaman Singh,
Vir Gabbar Singh Basti,
Bhag-3,
VTC: Dehradun,
PO: Dehradun,
Sub District: Dehradun,
District: Dehradun,
State: Uttarakhand,
PIN Code: 248001,



Validity unknown

Digitally signed by the Unique Identification Authority of India
Date: 2024.08.12 22:43 GMT+05:30

[Redacted signature area]

भारत सरकार
Government of India

आधार

रवि कुमार
Ravi Kumar
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1990
पुरुष/ MALE



Aadhaar no. issued: 1011D7011

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या वचुआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल जैकेट) के साथ किया जाना चाहिए।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML)

[Redacted area]

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 641 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पूनम पत्नी श्री अमर जीत मांडी,
कैनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 224 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - पिकी
4. दक्षिण- सजीव

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

/c



नाम: पूनम

Name: POONAM

पति का नाम: अमरजीत

Husband's Name: AMARJEET

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XX/XX/27
Date Of Birth/ Age

पता : H.No.2, केनाल रोड वार्ड न. 1, पो.- देहरादून महानगर,
नहरौली- देहरादून, विभा- देहरादून-248001

Address : H.No.2, Kenal Raad Ward No. 1, P.O.-
Dehradun City, Teh.- Dehradun, Dist.-
Dehradun-248001

Date : 11-09-2015

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी
Electoral Registrar Officer

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसौरी
Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
भाग संख्या और नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज (बायां हिस्सा), किशंपुर, बायां
भाग (पार्ट 3)
Part No and Name : 39 - Government Inter College (Left Side),
Kishampur (Left Part R,No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांच लें।
Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 642/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती पिकी रानी पत्नी श्री अरविन्द कुमार,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 63 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सैनी
4. दक्षिण- पूनम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरवाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c



भारत सरकार
Government of India



Issue Date: 15/09/2015



पिंकी
Pinky
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1968
महिला/ FEMALE



UID : 9153 0009 6997 7442

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India



Download Card: 03071623

पता:
द्वारा: पति अरविन्द कुमार, 0, वीर गबर सिंह बस्ती, तस्ल
नागल, गुजराड़ा, देहरादून, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001

Address:
C/O: Wo Arvind Kumar, 0, Vir Gabar singh
Basti, Tarta Nagal, Gujrada, Dehradun,
Dehradun,
Uttarakhand - 248001



1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 643./एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री विकास सैनी पुत्र श्री राम कुमार सैनी,
कैनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 130 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - कीर्ती
4. दक्षिण- पिकी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनआदेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे यसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति

कार्यालय NARWALA

सर्विस कनेक्शन संख्या : 344
एकाउन्ट संख्या : 484

001

दिनांक:-

15-Jun-201

Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम : Mr. VIKAS KUMAR SAINI, VIR GABBAR SINGH BASTI, TA

कुल देय राशि

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹ 600.00

प्राप्त Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹ 1800.00

संख्या :

दिनांक : (Rupees Only Eight Zero Zero Only)

काउन्टर संख्या :

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

11 / sac... के हित में बिजली बचायें

कस्टमर केयर टोल फ्री नं.

1800-419-0405

एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या— 644/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक— 22/05/24

सेवा में,

श्री किर्ति चौहान पत्नी श्री हंस राज चौहान,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गतित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर -
4. दक्षिण- विकास

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

o/c देहरादून।

पता म.सं. : 0
 गली/मोहल्ला : वीर गम्बर सिंह बस्ती
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ले.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून
 Address H.No : 0
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Lekh. : Jakhan
 Police Station : Rajpur
 Post Office : Rajpur Pin - 248001
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013

30/998

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि बदलने पर, नई पता पर अपना नाम लिखित मतदाता के दफ्तरी कार्ड में इस कार्ड को पत्र
 इसी नंबर पर भेजें करने के लिए सम्बन्धित कार्ड में यह नई पता अवश्य लिखें।
 In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including
 your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : कीर्ति चौहान

Elector's Name : Kirti Chauhan

पति का नाम : हंसराज चौहान

Husband's Name : Hansaraj Chauhan

लिंग / Sex : महिला / Female

1.1.2013 को आयु : 28

Age as on 1.1.2013

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या— 645/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक— 22/05/24

सेवा में,

श्री किशन कुमार पुत्र श्री संत राम सिंह,
कैनाल रोड़ वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 77 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मदन
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - प्रकाश
4. दक्षिण- सुनिता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

लिंग / Sex : महिला / Female

जन्म तिथि / आयु : XXXXX/1982 / 32
Date Of Birth/ Age

पता : H.No.9, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

Address : H.No.9, Veer Gabber Singh Basti, P.O.-
Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचन प्रतिपालक अधिकारी
Electoral Registrar Officer

Date: 21-01-2014

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मसूरी

Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie

भाग संख्या और नाम : 32 - राजपुरीर इन्टर कॉलेज बाया बाग, किरापुरी चर्च
Part No & Name : 32

Part No and Name : 32 - Government Inter College (Left Side)
Kisharpur (Left Part No 3)

नोट / Note :

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक सूची में निर्वाचक हैं। कृपया अगले आम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान सूची में जांच लें।

Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक सूची में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी शिक्ति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.



भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : विनोद देवी

Name : Vinod Devi

पति का नाम : कृष्ण कुमार

Husband's Name : Krishan Kumar

B 513B/EP/300000/10.4 Kg./March 2012



FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

Regd. Office : Aluva, Kerala, India

24X7 PHONE BANKING

TOLL FREE NOS (1800-425-1199
1800-420-1199

Br.:

THE FEDERAL BANK LTD
DEHRADUN
447 RAJPUR ROAD, OPPOSITE HOTEL GREAT VALUE
DEHRA DUN UTTARAKHAND
DEHRADUN
UTTARANCHAL - 248001
Phone: 01352745651
MICR Code: 248049002
IFSC : FDRL0001450
Toll Free number: 1800 425 1199

EXERCISE YOUR NOMINATION FACILITY

ABBREVIATIONS USED IN THE PASSBOOK		
Sl.No.	Abbreviation	Expansion
1	AWB	Any Where Banking
2	CHQ	Cheque
3	Coll.	Collection
4	Commn.	Commission
5	Cr.	Credit
6	DD	Demand Draft
7	Dr.	Debit
8	DW	Dividend Warrant
9	ECS	Electronic Clearing Service
10	Fbxxxx	Standing Instruction
11	FCCP	Foreign Currency Change Returned
12	IBC	Inward Bills for Collection
13	IBP	Inward Bills under LC
14	ICBP	Inland Clean Bills Purchased
15	IDBP	Inland Documentary Bills Purchased
16	Inst.	Instrument
17	Int.	Interest
18	IO	Interest Out Flow
19	LCC	Local Cheque for Collection
20	LCP	Local Cheque Purchased
21	OBC	Outward Bills for Collection
22	Pd.	Paid
23	POS Sur	Point of Sale Surcharge
24	RTN	Return
25	Tran.	Transaction
26	Trf.	Transfer

547900900

DEPOSIT PRODUCTS
Yuvamitra
Fixed Deposits
Cash Certificates
Federal Savings Fund/Fedjeewan
Suraksha Deposit
Current Deposit Account
Privilege Current Account



Account Type : Savings Account
 Account Number : XXXXXXXXXX
 Customer ID : XXXXXX
 Name : MRS VINOD DEVI
 Address : 09 VEER GABBER SINGH BASHI
 RAJPUR
 DEHRADUN-248001, INDIA
 Operational Instruction : SINGLE
 Date of Opening : 15-03-2014
 Account activation date :
 (For Pre-opened kits)

ADVANCE PRODUCTS
Personal Loans
Personal Car Loans
Housing Loans
Kissan Credit Cards
Vanijya Loan
Gold Loans and many more

Authorised Signatory :

For details, please contact any of our branches or visit www.federalbank.co.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 646/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री प्रकाश लाल,
कैनाल रोड वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 32 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- मदन
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - नीलम
4. दक्षिण- किशन

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


 अधीक्षण अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।
o/c

3068

क्र. ID 124



आवर्ती जमा खाता
RECURRING DEPOSIT
ACCOUNT

शाखा

Branch :

3280 JAKHAN
JAKHAN TOWER
132 RAJPUR ROAD,
JAKHAN

कार्य समय

Business Hours :

DEHRADUN
Tel: 2733637 2733937

साप्ताहिक छुट्टी

On Regular Days 10:00 TO 14:00 AND 14:30 TO 15:30

Weekly Holiday :

On Half Working Day 10:00 TO 12:30

SUNDAY IFSC CODE :CORP0003280 MICR CODE :248017503

खाता संख्या

Account No. :

Account No. [REDACTED] ECS [REDACTED]



खातेदार का नाम

MR NIRMAL WO PRAKASH LAL

Name of the Account Holder :

पता Address :

H.NO-1
VEER GABBAR SINGH BASTI
DEHRADUN

Pin : 248001

प्रचालन अनुदेश

211044- OTHERS [PUBLIC]

Operational Instructions

खाता खोलने की तारीख

31/07/2015

Date of Opening of Account :

Nomination: 201535085 Nomination Date : 31/07/2015

Nominee Name : NOMINATION REGISTERED

परिचयकर्ता का नाम

Name of the Introducer :

Tel. No. - General Queries only - [Toll Free] 1800-425-3555 [BSNL/MTNL Line]

Name of the Chief Grievance Redress Officer : Shri. N.Vija Kumar, General Manager

Tel. No. : 0824 - 2411429 Fax No. : 0824 - 2444161 Email ID : nvk@corpbank.co.in

प्रामाणिक हस्ताक्षरकर्ता /
Authorised Signatory




ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता छोटे पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : निर्मल
Name : NIRMAL

पति का नाम : प्रकाश लाल
Husband's Name : PRAKASH LAL

लिंग / Sex : महिला / Female
जन्म तिथि / आयु : XXXXX/1985 / 31
Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- बीर नगर सिंह बस्ती तरसा नागल, पो.- गुजराग, पहलीम- देहरादून, जिला- देहरादून-248001
Address : Vill- Vir Gabbar Singh Basti Tarsa Nagal, P.O- Gujraag, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248001


 निर्वाचन रजिस्ट्रार कार्यालय
 Electoral Registration Officer

Date : 09-04-2016

विधान प्रान्त क्षेत्र की संख्या और नाम : 19 - उत्तराखण्ड
Assembly Constituency No & Name : 19 - Uttarakhand
संसदीय क्षेत्र का नाम : 4 - बहादुर सिंह देवी राजकीय इंटर कॉलेज, मुवाठगा
प.नं. 2
Parl No and Name : 4 - Bahadur Singh Devi Rajkiya Inter College, Muwaathga

नोट / Note :
 1. इस कार्ड को कानून कलेक्ट करने से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचन चक्रकाली में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान चक्रकाली में जांच लें।
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक चक्रकाली में प्रतीक के अभाव में जांच लें।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

910

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 647.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती नीलम पत्नी श्री मदन सिंह,
कैनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 55 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - बेबी
4. दक्षिण- निर्मला

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सन्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 ELECTION COMMISSION OF INDIA

[Redacted]




UK: 12358530

निर्वाचक का नाम : मदन सिंह
 Elector's Name : Madan Singh
 पिता का नाम : मोहन लाल
 Father's Name : Mohan Lal
 लिंग / Sex : पुरुष / Male
 1.1.2013 को आयु : 32
 Age as on 1.1.2013

पता म.सं. : 0
 गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बस्ती
 ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
 पटवारी/ले.पा. : जाखन
 थाना : राजपुर
 पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
 तहसील : देहरादून
 जिला : देहरादून

Address H.No : 0
 Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
 Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
 Patwari/Lekh. : Jakhan
 Police Station : Rajpur Pin - 248001
 Tehsil : Dehradun
 District : Dehradun

Date : 6 Mar 2013 30/976

22-मसूरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
 अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुमति
 Facsimile Signature of the Electoral Registration
 Officer for 22 Mussoorie Constituency

इस पत्र में कोई भी परिवर्तन होने पर निर्वाचक को तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा।
 In case of change in address, mention this fact in the relevant Form for updating
 the name in the roll at the changed address and to update the card with same number.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 648/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती बेबी पत्नी श्री संजय सिंह,
कैनाल रोड वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल,
देहरादून।

भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 83 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - निर्मला
4. दक्षिण- नीलम

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

कार्यालय ANARWALA

RATE

दिनांक:

344 [REDACTED] 1080005

21-Oct-2015

सर्विस कनेक्शन संख्या :

48

[REDACTED] 088

Load : 1.0 KW

एकाउन्ट संख्या

उपभोक्ता का नाम :

Mrs. BABY, GABBAR SINGH BASTI, TARLA NAGAL, BHAG

कुल देय राशि

₹

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹

600.00

प्राप्त राशि

Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹

1800.00

संख्या :

दिनांक :

(द्विसंख्ये One Eight Zero Only)

काउन्टर संख्या

11 /संयुक्त/एक/संयुक्त/के हित में बिजली बचायें

संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

कस्टमर केयर टोल फ्री न. 1800-419-040

एवं मोहर

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 651/...../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुमन पत्नी श्री विनोद,
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 12 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- संजोग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - संजोग
4. दक्षिण- दुकान

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : सुमन देवी
Elector's Name : Suman Devi
पति का नाम : विनोद कुमार
Husband's Name : Vinod Kumar
लिंग / Sex : महिला / Female
1.1.2012 को आयु : 27
Age as on 1.1.2012

पता पत्र : 0
गली/मोहल्ला : वीर गब्बर सिंह बासी
ग्राम/नगर : नगर निगम देहरादून
पटवारी/ले.पा : जाखन
थाना : राजपुर
पोस्ट ऑफिस : राजपुर पिन - 248001
सहायक : देहरादून
जिला : देहरादून

Address H.No : 0
Street/Mohalla : Veer Gabber Singh Basti
Village/Town : Nagar Nigam Dehradun
Patwari/Lekh. : Jakhari
Police Station : Rajpur Pin - 248001
Post Office : Rajpur
Tehsil : Dehradun
District : Dehradun

Date : 21 Dec 2011 30/726

22-मुसोरी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुमति

Facsimile Signature of the Electoral Registration
Officer for 22-Mussoorie Constituency

यदि पता बदलने का कोई कारण हो तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से दस्तावेजों के साथ नया पता भेजना
होना चाहिए। (In case of change in address, applicant should fill this Card No. in the relevant form for including
new address in the roll in the changed address and to obtain it with some voucher)

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 652/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री संजोग पुत्र श्री राजेश,
कैनाल रोड, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या--417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 110 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - गली
4. दक्षिण- मनता

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटा दें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इन सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महादया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की समुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्रवाई हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

लिंग / Sex : पुरुष / Male
 आयु / Age : XX/00/1991 / 25
 पता - वीर गब्बर सिंह बस्ती तरना नाग, पो. - दुबारा, देहरादून, जिला- देहरादून-248001
 Address : VII - Vr Gabbar Singh Basti Tarana Nagal, P.O- Gupara, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248001
 दिनांक / Date : 18-04-2018
 निर्वाचन एजेंटिंग ऑफिसर / Electoral Registration Officer
 विधानसभा क्षेत्र का नाम - 19 - राबुर
 Assembly Constituency No & Name : 19 - Raipur
 पता का नाम - 4 - बहादुर सिंह जी सरकारी एग्रीकल्चर कालेज, गुपारा, पो. 2
 Pan No and Name : 4 - Bahadur Singh Negi Government Agr College, Gupara A.No 2
 ध्यान दें / Note :
 1. इस कार्ड को धारण करने का यह कि यह कोई प्रती नहीं है कि आप निर्वाचन अधिकार प्राप्त हैं।
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में जाकर जांचें।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान कार्ड - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD


 नाम : बंजोक कुमार
 Name : BANJOK KUMAR
 पिता का नाम : राजेश कुमार
 Father's Name : RAJESH KUMAR

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 653 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री चतुर चन्द पुत्र श्री श्याम चन्द,
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गवित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 08/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 25 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- संजोग
3. उत्तर - मीना
4. दक्षिण- ढांग

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c



सिंडिकेटबैंक
Syndicate Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
www.syndicatebank.in



शाखा का नाम और पता
Name & Address of the Branch:

SCHOLARS HOME DEHRA DUN
152
RAJPUR ROAD
DEHRA DUN , 248009

MICR No:
248025003

टेलीफोन सं./Tel. No. [REDACTED]
फैक्स/Fax: [REDACTED]
ई-मेल/E-mail: br.8517@syndicatebank.co.in

IFSC No:
[REDACTED]

Business Hours

नाम
Name

पता Mrs GOVINDI DEVI

Address WASHYAMCHANDRA

15 VEER GABBAR SINGH

जन्म तिथि BASTI RAJPUR

Date of Birth

DEHRADUN ,

248001

PAN

खाता सं 01/01/1949

A/c No.

0

Aadhaar :

Joint Name

खाता खोलने की तिथि

Account Opened on 05/09/2014

नामांक [REDACTED]

Nomination Registration No. & Date

A/C Operating Instruction:

पास-बुक निर्गम तिथि

Date of Issue of Pass Book

23/09/2014




प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory


 भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : गोविन्दी देवी
 Name : Govind Devi
 पति का नाम : श्याम चन्द्र
 Husband's Name : Shyam Chandra

Mr / Smt. 
 पति / पत्नी
 Date of Birth / Age 

Address: 

Address: 

Date of Issue: 

Issued by: 

Name: 





उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.

भुगतान पावती मूल प्रति B

कार्यालय ANARWALA

दिनांक: [REDACTED]

सर्विस कनेक्शन संख्या : [REDACTED]

30-Jan-2012 12:08

एकाउन्ट संख्या : [REDACTED]

Load : 1.0 KW

उपभोक्ता का नाम :

MR. CHATUR CHAND VIR GABBAR SINGH BASTI, TAPIA

कुल देय राशि :

Mode : Cash

SECURITY DEPOSIT

₹ 1200.00

SERVICE LINE CHARGES

₹ 600.00

प्राप्त राशि

Payment Towards : NEW CONNECTION

चैक/ड्राफ्ट विवरण

₹ 1800.00

संख्या :

दिनांक :

(R) [REDACTED] One Eight Zero [REDACTED] Zero Only

काउन्टर संख्या

11 / राष्ट्र एवं व्यय के हित में विजली बचाये

संग्रहकर्ता के उस्तावर

एवं मोहर

कस्टमर केयर टोल फ्री नं. 1800-419-0405

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 655 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 29/05/24

सेवा में,

श्रीमती कबुतरी देवी पत्नी श्री रमेश कोठियाल,
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- सुधा
2. पश्चिम- ओम प्रकाश
3. उत्तर -
4. दक्षिण- नाला


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।


 भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : कबुतरी देवी
 Name : KABUTARI DEVI
 पति का नाम : रमेश कोठियाल
 Husband's Name : RAMESH KOTHYAL

लिंग / Sex महिला / Female
 जन्म तिथि / आयु XX/XX/1980 / 38
 Date Of Birth/ Age

पता : ग्राम- बीर महर सिंह बस्ती तरसा नामक, पो- मुंबराडा,
 देहरादून- देहरादून, जिला- देहरादून-248001
 Address : VIII- Vr Bir Singh Basti Tarsa Nagal
 P.O- Qarn , Teh.- Dehradun, Dist.-
 Dehradun-248001


 निर्वाचन रजिस्ट्रार
 Electoral Registrar

Date : 09-04-2019

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 19 - राधपुर
 Assembly Constituency No & Name : 19 - Raipur
 मतदाता क्षेत्र नाम : 4 - बहदुर सिंह पब्लिक स्कूल कॉलेज, मुंबराडा
 P.N. 2
 Part No and Name : 4 - Bahadur Singh Nagal Government Inter
 College, Qarns R.No 2

गोटा / Note :
 1. इस कार्ड की कल्पना करने का यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान
 निर्वाचन चक्र में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम वर्तमान चक्र में अपने
 वर्तमान निर्वाचन में जांच लें।
 Mere possession of this card is no guarantee that you
 are elector in the current electoral roll. Please check your
 name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित तिथि को निर्वाचन चक्र में निर्वाचक के
 अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए प्रमाण के रूप में नहीं बनाया जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated
 as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than
 registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 656.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,
कैनाल रोड़, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- कबुतरी
3. उत्तर - खाली
4. दक्षिण- ढांग

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c



भारत निर्वाचन आयोग



ELECTION COMMISSION OF INDIA

मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD



नाम : श्रीम प्रकाश सिंह

Name : Gm Prakash Singh

पिता का नाम : लक्ष्मण सिंह

Father's Name : Lakshman Singh

भारत निर्वाचन आयोग

Sex: पुरुष / Male

Date Of Birth: XX/XX/1991 / 23

Address: H.No. 18, Veer Gabber Singh Basti, P.O. Rajpura, Tehsil Dehradun, Dist. Dehradun-248009

Address: H.No. 18, Veer Gabber Singh Basti, P.O. Rajpura, Teh. - Dehradun, Dist. - Dehradun-248009



विधानसभा निर्वाचन अधिकारी
Electoral Registrar, District

Date: 21-01-2014

विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम: 22 - मसूदा

Assembly Constituency No & Name: 22 - Mussoorie

विधानसभा क्षेत्र का नाम: 32 - राजकीय इंटर कॉलेज (लाई स्ट्रीट) देहरादून (लाई पार्ट नं. 3)

सं. नं. और नाम: 32 - Government Inter College (Laid Street) Dehradun (Laid Part No 3)

नोट / Note

1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांचें।

More possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.

2. इस कार्ड में उल्लिखित जानकारी को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अभाव में कहीं भी स्थिति में आप को प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age/D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.



सत्यमेव जयते
भारत सरकार



3087




भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

Enrollment No.: [Redacted]

30/12/2011

To
Om Prakash Singh
S/O Laxman Singh
18,
Veer Gabber Singh Basti
Dehradun
Rajpur
Chakrata Dehradun
Uttarakhand 248009




आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :



मेरा आधार, मेरी पहचान



Om Prakash Singh
DOB : 08/07/1990
Male



मेरा आधार, मेरी पहचान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 657.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सुधा दवी पत्नी श्री हरीश चन्द्र,
कैनाल रोड, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्यना रकबा 140 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- कबुतरी
3. उत्तर - ढांग
4. दक्षिण- ढांग

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सन्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूघनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।


 भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO IDENTITY CARD






नाम : हरिश् चन्द्र
Name : HARISH CHANDRA
पिता का नाम : रवि चन्द्र
Father's Name : RAM CHANDRA

लिंग / Sex : पुरुष / Male
 जन्म तिथि / आयु : 05/10/1978 / 38
 Date Of Birth/ Age

पता : H.No.02, वीर गब्बर सिंह बस्ती, पो.- राजपुर, तहसील-
 देहरादून, जिला- देहरादून-248009
 Address : H.No.02, Veer Gabber Singh Basti, P.O-
 Rajpur, Teh.- Dehradun, Dist.- Dehradun-248009

निर्वाचक रजिस्ट्रार बहिष्करी
 Electoral Registration Officer

Date : 14-08-2015

विधान सभा क्षेत्र की संख्या और नाम : 22 - मुसोरी
 Assembly Constituency No & Name : 22 - Mussoorie
 लोक सभा क्षेत्र नाम : 39 - राजकीय इंटर कॉलेज हाथा बागी, पिपनपुर हाथा
 लोक सभा क्षेत्र : 39 - Government Inter College (Left Sight) :
 Wahanpur (Left Part R.No 3)

नोट / Note :
 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक भागवली में निर्वाचक हैं। कृपया अपना नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान भागवली में जांच लें।
 Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election.
 2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक भागवली में पंजीकरण के अंतर्गत अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
 Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll.

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 656 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,
कैनाल रोड, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 56 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- डांग
2. पश्चिम- रास्ता
3. उत्तर - सीता राम
4. दक्षिण- संजू

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।


एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले संक्षेपाक्षर / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

a/c = Account/खाता	Csh = Cash/कैश	Pos = Point of Sale/बिंदु ऑफ सेल
adj = Adjustment/समायोजन	dep = Deposit/अक्षर	Pr = Principal/मूलधन
Amnt = Amount/राशि	Dft = Draft/ड्राफ्ट	roc = Processing Charge/प्रसिद्धि शुल्क
Ar = Arrear/पसपराशि	dish/dsh = Dishonor	rd = Recurring Deposit/आवर्ती अक्षर
bal = Balance/बैलेंस	DR = Debit/क्रेडिट	rt/rtn = Return/वापसी
Capn = Capitalisation/पूंजीकरण	DOB = Date of Birth	nd = Round off/गुणित
Chg/ch = Charge/शुल्क	eft = Electronic Fund	s = Savings Bank/संचय बैंक
Chq = Cheque/चेक	Inop = Inoperative/अकार्य	sc = Short Credit/छोटी क्रेडिट
CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	Ins = Insurance/बीमा	SI/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुदेश
Clos = Closure/समाप्ति	Int / In = Interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ पुत्र/ पुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/संग्रहण	Ion/loan/अक्षर	Trf/xfer = Transfer/अक्षर
Comm. = Commission/आय	Min = Minimum/न्यूनतम	Trn = Transaction/संश्लेष
COR/CORR = Correction/संशोधन	os = Outstanding/पसपराशि	Wd = Withdrawal/अक्षर
CR = Credit/अक्षर	P&T = Postal Charges/डाक शुल्क	*MOD bal = Total balance (SB + linked MOD a/c)/कुल अक्षर (अक्षर बैंक + जुड़े अक्षर)



भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA
Branch: JAKHAN Code: 6155
140F, RAJPUR ROAD JAKHAN

Email: sbi.06155@sbi.co.in

Phone No.: 2734420

IFSC: SBIN0006155

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00

MICR: 248002009

Name: OM PRAKASH SINGH

S/D/H/o : LAXMAN SINGH

CIF Number : [REDACTED]

A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : HNO 18
VEER GABBAR SINGH BASTI
PO RAJPUR, DEHRADUN

Phone No. :

Email :

D.O.B. (If Minor) :

PPO Number :

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 07/12/2010

Nom Reg No:


Customer's PAN: [REDACTED]

Date of Issue: 27/12/2022

CONTINUATION

Post Code: 248001

Sr. Citz Flag:



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 659/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री सीता राम पुत्र श्री देक चन्द,
कैनाल रोड, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 66 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - गोवी देवी
4. दक्षिण- ओम प्रकाश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
e/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन वागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
e/c देहरादून।

फ.सू. ID 133


कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

 शाखा
 Branch : 3280 JAKHAN
 JAKHAN TOWER
 132 RAJPUR ROAD,
 JAKHAN
 DEHRADUN

 कार्य समय
 Business Hours : On Regular Days 10:00 TO 14:00 AND 14:30 TO 15:30
 On Half Working Day 10:00 TO 12:30
 SUNDAY

 साप्ताहिक छुट्टी
 Weekly Holiday :

 खाता संख्या
 Account No. :

P.Code : 000512 INR INDIAN RUPEES

MR SITA RAM SO NAUBAT SINGH

 खातेदार का नाम
 Name of the Account Holder

 पता Address : VEER GABBAR SINGH BASTI
 PO RAJPUR JAKHAN
 DEHRADUN
 UTTARAKHAND
 Pin : 248001

 प्रचालन अनुदेश
 Operational Instructions : SELF OTHERS [PUBLIC]

 खाता खोलने की तारीख
 Date of Opening of Account : 25/05/2015

 Nomination: [REDACTED]
 Nominee Name : SHYANO DEVI

 दिनांक मुहर
 Date Seal

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

 Tel. No. - General Queries only - [Toll Free] 1800-425-3555 (BANK/WH/IS/DE)
 Name of the Chief Grievance Redress Officer : Shri. N.Vija ya Kumar, General Manager
 Tel. No. : 0824 - 2411429 Fax No. : 0824 - 2444161 Email ID : nvt@corpbank.co.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 561/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती कुसुम,
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 50 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - हेमा
4. दक्षिण- गोवी देवी

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचना हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
o/c

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 662/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 24/05/24

सेवा में,

श्रीमती हेमा पत्नी श्री महेश पटेल,
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रोजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 120 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सडक
3. उत्तर - रिता राय
4. दक्षिण- कुसुम


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



सूचना


- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish Identity, authenticate online.


2612 / 41933

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



Address: C/O Mahesh, PHASE -3 VIR-
GABAR SINGH BASTI, TARALA NAGAL,
RAJPUR, Dehradun, Dehradun,
Uttarakhand, 248031-

1947 help @ uidai.gov.in www uidai.gov.in



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

Enrollment No.: 0661/30330/01560

To,
Hema
C/O Mahesh
PHASE -3 VIR GABAR SINGH BASTI
TARALA NAGAL
RAJPUR Dehradun
Dehradun Chakrata Dehradun
Uttarakhand 248001



भारत सरकार
Government of India



Hema
DOB: 01/01/1984
Female

मेरा आधार, मेरी पहचान

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 663.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,


श्रीमती रीता राय पत्नी श्री कर्मू राय,
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 44 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- ढांग
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - कपिल
4. दक्षिण- हेमा

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मीके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/c देहरादून।



भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार उपक्रम)

पंजाब ऑफिस : 4 और 6, करमभावा रोड, पो. वाक्स नं. 688, बिलाई इस्टेट, मुम्बई - 400 001

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISES)

REGISTERED OFFICE : BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED, BHARAT BHAVAN, 4, AND 6, KARMA BHAWA ROAD, BALLARD ESTATE, P.B. NO. 688, MUMBAI - 400 001. CIN : L23220MH1952GOI008931 PHONE : 2271 3000 / 4000 FAX : 2271 3874

EMAIL : info@bharatpetroleum.in WEB : www.bharatpetroleum.in

एसवी/टीवी/टीए - प्रपत्र
SV / TV / TA - FORM

SUBSCRIPTION VOUCHER

3. NO.		दस्तावेज का प्रकार DOCUMENT TYPE	
	186979	186979 (माह/वर्ष) DATE (DD/MM/YYYY)	
			CONSUMER NO.
186979	JEEVAN JYOTI BHARAT GAS SERVICES		
42/52- CANAL ROAD KISHANPUR DEHRADUN DEHRADUN UTTARANCHAL 248001			
DISTRIBUTOR CODE, NAME AND ADDRESS			

कनेक्शन CONNECTION		पंजीकरण REGISTRATION		उपकरण EQUIPMENT	कोड CODE	नग NOS.	राशि AMOUNT
प्रकार TYPE	श्रेणी CATEGORY	क्रमांक NO.		सिलिंडर CYLINDER	4.2 SDO	0	0
	NOT KNOWN	दिनांक DATE		रेग्युलेटर REGULATOR			1450
कुल राशि शब्दों में AMOUNT IN WORDS		ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND FIFTY				कुल राशि TOTAL	

उपभोक्ता का नाम और पता. CONSUMER NAME AND ADDRESS

REETA LPGID : 10000 0000 4127 2548
VIR GABBER SINGH BASTI BHAG 3 CANAL ROAD DEHRADUN 248001

पुराना ब्योरा OLD PARTICULARS		दस्तावेज DOCUMENT	क्रमांक NO.	दिनांक DATE
डिस्ट्रिब्यूटर कोड नूल DISTRIBUTOR CODE		एस. वी./टीवी/टीए SV / TV / TA		
टेरिटोरी कोड TERRITORY CODE		अतिरिक्त सिलिंडर एस वी. ADDITIONAL CYLINDER S. V.		
उपभोक्ता क्रमांक CONSUMER NO		एस. वी./टीवी/टीए SV./ TV/ TA		
तेल कंपनी OIL COMPANY				
रिकवरी ऑन अ/ऑफ RECOVERY ON A/C OF	लॉस्ट LOST			डिफेक्टिव DEFECTIVE
सिलिंडर CYLINDER				
रेग्युलेटर REGULATOR				
डीबीटी एडवेंस DBTL ADVANCE				
कुल राशि TOTAL AMOUNT				

दोसफर द डिस्ट्रिब्यूटर का कोड, नाम और पता TRANSFER TO DISTRIBUTOR CODE, NAME AND ADDRESS

M/s Jeevan Jyoti Bharat Gas Service
42/52, Canal Road, Kishanpur
(Rajpur) Dehradun (U.K.)

REMARKS

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 665/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री विशाल पुत्र श्री राजेश,
कैनाल रोड, वीर गम्बर सिंह बरती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा न0 291 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 196 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- दाग
2. पश्चिम- सडक
3. उत्तर - दाग
4. दक्षिण- रीता राय


कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

3104

Consumer Personal Details

Consumer No	[REDACTED]	Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Name	MR VISHAL KUMAR	Account No / CIN	[REDACTED]
Father Name	S/O SHRI RAJESH KUMAR	Billing Status	Live
Address	VIR GABBAR SINGH BASTI BHAGABAD NAGAL	Contracted Load	1.00 KW
Phone no :		Connected Load	1.00 KW
Office Name	ANARWALA	Supply Release Date	02-Jan-2016
E-mail		Total Security Deposit	1200.00

Consumer Meter Details

Meter Number	[REDACTED]	Meter Make :	LNT
Meter Type	WC	GT Type	NON-GT
Meter Capacity	5-30	Location :	
Digit	6	Meter Constant	1 945
Height :		Meter Phase	1
Meter Box No		Cover Seal 1	100328
Cover Seal 2		Terminal Seal No	3594425

Network Asset Details

Substation	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name	UPCL-DP-F-B3 / GABBAR SINGH BASTI	Pole :	UPCL-DP-F-B3-1-020

Block Clone

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 666.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री नीरज मिश्रा पुत्र श्री रामप्रताप मिश्रा,
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अयगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा न0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 56 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नीलिमा
2. पश्चिम- देवनाथ
3. उत्तर - रास्ता
4. दक्षिण- नीलपद

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरवाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

o/c

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 667 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती निलिमा देवी,
कैनाल रोड़, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड़,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड़ के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 40 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- स्वयं
3. उत्तर - जस्यन्त
4. दक्षिण- यादराय

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2018 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2018 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।


भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
 पहचान पत्र
IDENTITY CARD



निर्वाचक का नाम : नलिमा
 Elector's Name : Nilima
 पति का नाम : सत्य देव
 Husband's Name : Satya Dev
 लिंग / Sex : स्त्री Female
 1.1.2006 को आयु : 27
 Age as on 1.1.2006

पता : पहचान पत्र संख्या :- XXXXXXXXXX
 म.सं. : 51/3डी
 गली/मोहल्ला : केनातरोड
 ग्राम/नगर : किशनपुर
 थाना : राजपुर
 जिला : देहरादून
 Address
 H.No. : 51/3 D
 Stri/Mohalla: Kenalarod
 Vill/Town : Kishanpur
 PoliceStn. : Rajpur
 Distt. : Dehradun
 Pin : 248001

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के
 हस्ताक्षर की अनुकृति
 निर्वाचन क्षेत्र 15- राजपुर
 Facsimile Signature of
 Electoral Registration Officer
 for 15- Rajpur

स्थान : देहरादून दिनांक : 01-11-2006
 Place : Dehradun Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान
 पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

This card can be used as an Identity Card
 under different Government Programmes. 39/858

उत्तराखण्ड जल संस्थान					
दिनांक		04/02/2013		Rajput	
मांग पंजिका सं०		[REDACTED]		WWD-RJP [REDACTED]	
श्री/श्रीमती		[REDACTED]		बिल की अवधि से	
पता		निमिमा -/सतय वेध		-/- तक	
				माह 0	
वीर गम्बर सिंह, जयपुरी					
जल मूल्य	जल कर	सीवर कर	सीवर शुल्क	अन्य प्राप्ति	जमा राशि (रु०)
0.00		320.00		3720.00	3,320.00
बिल सं०	P-RJ361/1	दिनांक	30-01-2013 को रिबिट राशि		
जमा राशि	3,320.00		Cash द्वारा प्राप्त हुई		
शब्दों में	THREE THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY				
बकाया राशि	0.00				
अतिरिक्त जमा राशि	0.00	लेखाधिकारी			अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नोट : बैंक द्वारा भुगतान की दशा में जारी रसीद बैंक कैश होने पर ही वैध होगी।					

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 668.../एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री राजकुमार,
कैनाल रोड, वीर गम्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 140 वर्गमीटर भूमि जित्तकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - लीलपथ
4. दक्षिण- जयप्रकाश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ सलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपडी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।




सत्यमेव जयते

Government of Uttarakhand

3111

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK39057379701117P
Certificate Issued Date	: 27-Oct-2017 02:14 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1200304/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120030478614425104379P
Purchased by	: DEEPAK KUMAR
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SUMITRA DEVI
Second Party	: DEEPAK KUMAR
Stamp Duty Paid By	: DEEPAK KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Att. No.
 ASMITOSH KATHI
 COURT COMPOUND NO. 42
 COURT COMPOUND, DELHARA

.....Please write or type below this line.....

सुमित्रा



Statutory Note

1. The authenticity of the e-stamp certificate can be verified by the user available on the website www.assm.gov.in
2. The amount of e-stamp duty is payable by the purchaser of the certificate.
3. The e-stamp duty is payable by the purchaser of the certificate.

मलबा विक्रय अनुबन्ध-पत्र

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 27.10.2017 को श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व० श्री श्याम लाल निवासी-तल्ला नागल निकट पनाश वैली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। (जिसको इस विलेख में आगे प्रथमपक्षगण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

सुमित्रा प्रथमपक्ष / विक्रेता

एवं

श्री दीपक कुमार पुत्र स्व० श्री राजकुमार निवासी-21 बॉडीगार्ड कैनाल रोड, जिला देहरादून (जिसे इस विलेख में आगे द्वितीयपक्षगण कहकर सम्बोधित किया गया है)।

दीपक कुमार
द्वितीयपक्ष / क्रेता

विदित हो कि, प्रथमपक्ष अनुबन्ध पत्र की सूची में वर्णित मलबा की एकमात्र स्वामी, अध्यासी चली आ रही है। सूची में वर्णित मलबा हर प्रकार के भार बन्धन विवादों आदि से मुक्त व रहित है अर्थात् हर प्रकार से पाक व साफ हालत में है तथा प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित मलबा व उसके भाग को वैधानिक रूप से विक्रय, अन्तरण, अनुबन्धित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है प्रथमपक्ष उपरोक्त मलबा द्वितीय पक्ष को मलबा विक्रय करना चाहती है तथा द्वितीय पक्ष उपरोक्त मलबा को कय करने का इच्छुक है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के मध्य निम्नलिखित अनुबन्ध हो गया है,

1. यह कि अनुबन्धित मलबा विक्रय अनुबन्ध पत्र दोनों पक्षों ने इस विलेख की सूची में वर्णित मलबा का कुल सौदा मु० 5,00,000/-रु० (पाँच लाख रुपये) में तय पाया है तथा प्रथमपक्ष ने उक्त मलबे की उक्त धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर ली है। अब कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है और आज से उक्त मलबे का कब्जा दिनांक-27.10.2017 को सौंप दिया है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि उक्त मलबे में बिजली कनेक्शन पानी का कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर कर ले।

सुमित्रा

दीपक कुमार

यह कि आज दिन मौके पर मलबे का निर्विवाद व रिक्त अध्यासन प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को सौंप दिया गया है। द्वितीयपक्ष को जिसमें प्रथमपक्ष या उसके वारिसान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।


3. यह कि उक्त अनुबन्ध पत्र दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पूरे होशों-हवास में लिखा जा रहा है तथा दोनों पक्षों द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र पर बिना किसी दबाव के पढ़कर व समझकर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं।

विवरण भूमि

यह कि वीर गब्बर सिंह बस्ती कैनाल रोड, देहरादून जिसमें 300 वर्गगज, जिसमें तीन कमरे एवं एक लैटिंग बाथरूम किचन निर्मित हैं।

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 27.10.2017 को दोनों पक्षों के मध्य स्थान देहरादून में साक्षीगण के उपस्थिति में लिख दिया ताकि सनद रहे एवं समयानुसार काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष / विक्रेता



साक्षीगण

1. Ram Babak.....

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष / क्रेता



2. शिवानन्द.....

Personal Details

Category	STN-10 / OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4KW
Account No / CIN :	[REDACTED]
Billing Status :	Dismantled
Contracted Load :	1.00 KW
Connected Load :	1.00 KW
Supply Release Date :	04-Sep-2004
Total Security Deposit :	500.00

Consumer Meter Details

Meter Number :	[REDACTED]	Meter Make :	
Meter Type :	WC	CT Type :	
Meter Capacity :	5-30	Location :	
Digit :	6	Meter Constant :	6
Height :		Meter Phase :	1
Meter Box No :		Cover Seal 1 :	
Cover Seal 2 :		Terminal Seal No :	

Network Asset Details

Substation :	33/11 KV DHAKPATTI S/s	Feeder :	11 KV O/G Rajpur Road
DTR Code/Name:	UPCL-DP-F-F1 / PB-SHIPRA VIHAR COLONY	Pole :	UPCL-DP-F-F1-1-003

Back Close

उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड
अनारवाला राजपुर
देहरादून

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 676 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री संत लाल पुत्र श्री राम अवतार,
कैनाल रोड, वीर गब्बर सिंह बस्ती, तरला नागल कैनाल रोड,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 08/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम तरला नागल कैनाल रोड के खसरा नं0 289 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 38 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब-
2. पश्चिम-
3. उत्तर - दीपक
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568 / XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



भारत सरकार



आधार



भारत सरकार

Unique Identification Authority of India

Government of India

Enrollment No 1098/12707/026.17

To,
Santlal
S/O: Ramaavadh
11 vir gabber singhn basti
canal Road
Kishan Pur
Kishanpur Chakrata Dehradun
Uttarakhand 248009

24/02/2015

Ref: 26906 / 04C / 3364390 / 3364408 / P



आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार
Government of India



Santlal
DOB : 01/01/1960
Male



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 672 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती सरजुवती पत्नी स्व0 श्री मनसा राम,
कैनाल रोड़, किशनपुर, किशनपुर,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 42 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- सड़क
3. उत्तर - नीरजमिश्रा
4. दक्षिण- मोहसिन

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/ओपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है. उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
0/c देहरादून।



उत्तराखण्ड जल संस्थान

दिनांक

06/08/2014

Rajpur

WWID-RJP

घांग पंजिका सं०
श्री/श्रीमती
पता

मन्शाराम रावत -/रामप्यारे रावत
बीर गब्बर सिंह बस्ती

-/-

तक

-/-

माह

0

जल मूल्य	जल कर	सीवर कर	सीवर सीट	अन्य प्राप्ति	जमा राशि (रु०)
0.00		0.00		3836.00	3,836.00

बिल सं०

P-RJ1042/1

दिनांक

03-07-2014

को रिबेट राशि

जमा राशि

3,836.00

Cash

द्वारा प्राप्त हुई

शब्दों में

THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED THIRTY-SIX

वकाया राशि


0.00

अतिरिक्त जमा राशि

0.00

वरिष्ठ लेखाधिकारी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



E-mail : paper_bzz@yahoo.com Ph. 09997014632

नोट : चेक द्वारा भुगतान की दशा में जारी रसीद चेक कैश होने पर ही वैध होगी।

1 Kwatt Domestic



उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि०

पावती
मूल प्रति

उपभोक्ता हेतु

पुस्तक संख्या A

एस.पी.आई.एल. / 2007 रसीद सं०

41

जमा खाता (इकाई का नाम) ... Sh. MANSHRAM

1. उपभोक्ता का नाम व पता ... Sh. RAM PYARE

2. सर्विस कनेक्शन सं० ... 3. गुप संख्या / बुक सं०

4. प्राप्त राशि / (अंको में) रु० (शब्दों में) रुपया

5. वास्ते (1) फिक्स मूल्य रु० ... MR Gurbax Singh Beoshi

(2) विद्युत मूल्य रु० ... Canal Road Bagh 2

(3) विद्युत कर रु० ... 102 112 1489.62

(4) मीटर किराया रु०

(5) अन्य ... S.C - 400 =

(6) बकाया रु० ... D. charge - 4000 =

कुल योग रु०

छूट रु०

शुद्ध देय रु०

स्थान

दिनांक ... 30/12/08

सम्रह कर्ता का नाम एवं पद की मुहर

नोट: चेक से प्राप्त भुगतान तभी मान्य होगा जब तक कि चेक से भुगतान प्राप्त हो जाये।

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 673/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्रीमती ईशा शर्मा पत्नी श्री गौरव कुमार,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 15 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- भीना मसि, सड़क पी0डब्ल्यू0डी0
2. पश्चिम-
3. उत्तर - मौसिन
4. दक्षिण- गोविन्द सिंह मसि

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनाार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को द्वारा आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0टी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का माष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।



श्रीमान्

673



विक्रय पत्र

किस्म दिस्तावेज : विक्रय पत्र
 विक्रय प्रतिफल : 5,50,000/- ₹
 स्ताम्प शुल्क : 1,000/- ₹
 ई-स्ताम्प नं० : [REDACTED]

सम्पत्ति स्थित :- वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनल रोड, जिला देहरादून।

सम्पत्ति का प्रकार :- व्यवसायिक दुकान

विक्रीत क्षेत्रफल :- वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनल रोड, जिला देहरादून, जिसका रकबा 21 वर्गगज जो कि प्रथमतल पर पूर्णतः निर्मित है।

प्राप्त मार्ग से दूरी :- विक्रीत भूमि/सम्पत्ति मुख्य कैनल रोड से 0 से 50 मीटर के अन्तर्गत स्थित है।


केता :- श्री गोविन्द सिंह मसीह पुत्र श्री रोहन सिंह मसीह निवासी वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनल रोड, जिला देहरादून।

Adhar No. [REDACTED]

केता :- श्रीमती ईशा शर्मा पत्नी श्री गौरव शर्मा निवासी म0न0 2, दीपनगर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

Adhar No. : [REDACTED]

Latitude 30.37600, Longitude 78.08808



जोबन्त सिंह शर्मा

[Signature]




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK26303597127519T
Certificate Issued Date	: 08-Jun-2021 02:12 PM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1305504/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130550456374527855671T
Purchased by	: ISHA RANI
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: GOVIND SINGH MASI
Second Party	: ISHA RANI
Stamp Duty Paid By	: ISHA RANI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 1,000 (One Thousand only)



A.No. 8
 BHAGYASHRI
 Stamp Vendor L.No. 233
 Court Compound, Dehradun

Govind Singh Masi

Ding

LIB 0011858221

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.stockstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The press of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.

विक्रय पत्र (मय मलवा कब्जा विलेख)

श्री गोविन्द सिंह मसीह पुत्र श्री रोहन सिंह मसीह निवासी वीर गब्बर सिंह कालोनी,
शिप्रा विहार, किशनपुर कैनल रोड, जिला देहरादून

—प्रथमपक्ष / विक्रेता

एवं

श्रीमती ईशा शर्मा पत्नी श्री गौरव शर्मा निवासी म0न0 2, दीपनगर, जिला देहरादून,
उत्तराखण्ड।

—द्वितीयपक्ष / क्रेता

के मध्य अंकित व निष्पादित किया गया।

विदित हो कि भूमि/सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है, का प्रथमपक्ष मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासी है तथा प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूमि/सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष पिछले 30 वर्षों से काबिज, अध्यासी चला आ रहा है, इस प्रकार प्रथमपक्ष को अनुबन्धित भूमि/सम्पत्ति को विक्रय अनुबन्ध पत्र तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त है।

विदित हो कि द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि/सम्पत्ति को क़य करना चाहता है तथा प्रथमपक्ष विक्रय करना चाहता है, जिसके बाबत निम्न शर्तें तय पायी गयी हैं, जिसका पालन दोनों पक्षकार, उनके हित प्रतिनिधि, वारिसान, मालिक, स्वामी, एजेन्ट आदि करेंगे:—

- 1 यह कि पक्षकारों की सहमति से इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का कुल सौदा मु0 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार रूपये) में तय पाया गया है, जो कि द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को नगद अदा कर दिये है, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष को स्वीकार है, विक्रय प्रतिफल के मध्य कुछ लेना देना बाकी नहीं हैं तथा भूमि/सम्पत्ति का मौके पर कब्जा सौंप दिया है।
- 2 यह कि विक्रीत भूमि/सम्पत्ति का द्वितीयपक्ष के नाम करवाने का समस्त व्यय द्वितीयपक्ष ही वहन करेगा।
- 3 यह कि उक्त भूमि/सम्पत्ति के माल कागजात में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वाद विवाद पाया जाता है, तो प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष द्वारा दी गयी अग्रिम धनराशि को वापस करने को बाध्य होगा, जिसकी स्वीकृति प्रथमपक्ष द्वारा स्वीकार है।
- 4 यह कि अनुबन्धित भूमि/सम्पत्ति पाक एवं साफ हालत में विक्रय की जा रही है तथा उक्त भूमि/सम्पत्ति कहीं भी बय, रहन, अथवा बन्धक नहीं रखी गयी है तथा उक्त भूमि/सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई भी वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है।



गोविन्द सिंह मसीह

Dhg

- 5 यह कि आज दिन तक कि समस्त देनदारी प्रथमपक्ष वहन करेंगे आज के बाद यह समस्त दायित्व द्वितीयपक्ष का होगा।
- 6 यह कि स्वागित्व की पुष्टि हेतु यदि द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से किसी लेख बयान आदि की आवश्यकता हुयी तो ऐसा लेख बयान प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष की मांग व व्यय पर लिखकर दे देंगे।
- 7 यह कि आज से क्रेता/द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति में बतौर स्वामी काबिज रहकर प्रयोग करें, जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, हर प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग आदि में लावे, रहन, विक्रय, दान, वसीयत, आदि करें, निर्माण करें। आज के बाद विक्रेता को क्रेता के अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 8 यह कि विक्रीत सम्पत्ति प्रथमतल पर स्थित है जो कि विक्रेता द्वारा मय छत अधिकार एवं मय कॉलम सहित प्रदान की जा रही है।
- 9 यह कि इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार दोनों पक्षों के हित प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, आदि आदि सम्मिलित समझे जायेंगे।

विवरण अनुबन्धित भूमि/सम्पत्ति

भूमि/सम्पत्ति स्थित वीर गब्बर सिंह कालोनी, शिप्रा विहार, किशनपुर कैनाल रोड, जिला देहरादून, जिसका रकबा 21 वर्गगज जो कि एक व्यवसायिक दुकान है तथा प्रथमतल पर पूर्णतः निर्मित है, जिसमें एक बाथरूम निर्मित है, जो कि कॉलम सहित व मय छत अधिकार विक्रय की जा रही है, जिसकी नाप व सीमाये निम्न प्रकार

- पूरब में- सम्पत्ति विक्रेता, सीमा में नाप 12 फुट
 पश्चिम में- 40 फीट चौड़ी सड़क, सीमा में नाप 11 फुट 9 इंच
 उत्तर में- सम्पत्ति विक्रेता, सीमा में नाप 17 फुट 9 इंच
 दक्षिण में- सम्पत्ति अन्य, सीमा में नाप 17 फुट 9 इंच

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

विक्रेता का नाम :- श्री गोविन्द सिंह मसीह।

बायें व दायें हाथ के अंगुलियों के निशान

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



Dng

केता का नाम :- श्रीमती ईशा शर्मा।
बायें व दायें हाथ के अंगुलियों के निशान





अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठिका



अतः यह विक्रय पत्र (मय कब्जा विलेख) आज दिनांक 08.06.2021 को स्थान देहरादून में लिख दिया गया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

गवाह-1

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

गवाह-2

श्री आकाश तिजवाल
पुत्र श्री राकेश पाल
निवासी म0नं0 30, अमर भारती
चन्द्रबनी, देहरादून।

Adhar No.- 7619 5070 3590

ATTESTED
RAJENDER SINGH NEGI
Advocate & NOTARY
Chamber No. 02 1st Floor
Opposite Bar Association Office
Collectorate Court Compound
Dehradun (Uttarakhand)

श्री इनोश सिंह मसीह
पुत्र श्री गोविन्द सिंह मसीह
निवासी वीर गब्बर सिंह कालोनी
शिप्रा विहार, किशनपुर
कैनाल रोड, देहरादून।

Adhar No.- 3593 1262 0186



सूचना

- Aadhaar पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पहचान का प्रमाण ऑनलाइन प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त करें।

INFORMATION

- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship.
- To establish identity, authenticate online.

- भारत देश भर में मान्य है।
- आगामी भविष्य में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगी होगा।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar will be helpful in availing Government and Non-Government services in future.



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
-, कानल रोड, किशनपुर, किशनपुर,
देहरादून, देहरादून ज.प. उत्तराखण्ड,
248001

Address:
-, CANAL ROAD, KISHANPUR,
KISHANPUR, Dehradun,
Dehradun G.p, Uttarakhand,
248001

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www
www.uidai.gov.in



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No. [REDACTED]

To
मीना सिंह मसी
MEENA SINGH MASI
- CANAL ROAD
KISHANPUR KISHANPUR
Dehradun
Dehradun G.p
Chakrata Dehradun
Uttarakhand 248001

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :
[REDACTED]

आधार - आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार
Government of India



मीना सिंह मसी
MEENA SINGH MASI
पिता : इशु सिंह मसी
Father : Ishu Singh Masi
जन्म तिथि / DOB : 01/08/1975
महिला / Female

आधार - आम आदमी का अधिकार

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 674/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री सैयद अख्तर हुसैन पुत्र श्री अजहर हुसैन,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 45 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- पी0डब्ल्यू0डी0
3. उत्तर - मीना मसि
4. दक्षिण- राम प्रकाश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।


अधीक्षक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
O/C देहरादून।




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK276997079597P
Certificate Issued Date	: 25-Jul-2017 04:59 PM
Account Reference	: NONACC (SV) uk1201904/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120190455701161666119P
Purchased by	: SAYYAD AKHTAR HUSSAIN
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: SAYYAD AKHTAR HUSSAIN
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: SAYYAD AKHTAR HUSSAIN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line.



सय्याद अख्तर हुसैन

-2-

- 3 यह कि दोनों पक्ष समस्त शर्तों का पालन करेंगे तथा प्रथमपक्ष या उसके किसी भी रिश्तेदार, वारिसान उक्त मलबों सम्पत्ति की बाबत कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं करेगा तथा मलबा सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्ण कागजात प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को आज ही सौंप दिये हैं।
- 4 यह कि उक्त मलबा भूमि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष को पाक साफ हालत में विक्रय की गयी है। तथा कब्जा मौके पर सौंप दिया गया है।
- 5 यह कि आज से प्रथमपक्ष का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता शेष नहीं रह गया है आज से उक्त मलबा भूमि के मालिक स्वामी द्वितीयपक्ष हो गये हैं। भविष्य में इस मलबे की बाबत कोई हस्ताक्षर प्रथमपक्ष के करने की आवश्यकता पड़ती है तो इस पर प्रथमपक्ष पूर्ण सहमत रहेगा तथा अपने हस्ताक्षर करने हेतु तैयार रहेगा।
- 6 यह कि उक्त भूमि मलबा पाक साफ हालत में विक्रय की गयी है तथा विक्रीत सम्पत्ति से प्रथमपक्ष ने आज पूर्ण रूप से अपना कब्जा हटा व उठा लिया है और द्वितीयपक्ष को अपनी भांति मलबा भूमि का कब्जा मौके पर सौंप कर काबिज करा दिया है।
- 7 यह कि मलबा भूमि में जो बिजली पानी लगा हुआ है, जब तक द्वितीयपक्ष अपने नाम से बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लगा लेता है उक्त बिजली पानी का संयोजन का प्रयोग द्वितीयपक्ष करता रहेगा। इसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विरण विक्रीत मलबा/भूमि

एक मकान जिसमें 3 छोटे कमरे बने हैं जो राम प्रकाशजी के मकान के साथ लगा है, जिसकी चौड़ाई 15 फीट है तथा गहराई नदी तक है जो कि सड़क से चौड़ाई 15 फीट नदी से चौड़ाई 15 फीट नदी तक लगभग 70 फीट है स्थित वीर गब्बर सिंह बस्ती भाग-2, मकान नं० 1/159, कैनाल रोड, देहरादून का भाग।

अतः आज दिनांक 14.12.2017 को स्थान देहरादून में यह विक्रय अनुबन्ध /मलबा विक्रय पत्र पत्र मय भूमि कब्जा लिख दिया गया है ताकि प्रमाण रहे व समय पर उपयोगी सिद्ध हो।

राम प्रकाश

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हिजाई

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

गवाह

शु. आ. व. १०

जाखन फोटोस्टू डिप्टी

गवाह

प. श. व. म. १० राम प्रकाश

R. उ. प. व. क. व.

विद्युत बिल			
खाता सं. [REDACTED]			
बुक सं.	गण सं.	दिनांक तिथि	
1116	[REDACTED]	20-11-13 15:01	
सुरक्षा	सेक्टर	सक	माह
6	11-13	12	01
रखण्ड	उपरखण्ड		
देय स्थान	विच्छेदन तिथि		
DEHRADUN NORTH	DEHRADUN NORTH	15-12-13	
नाम	SRI RAM PARKASH		
पता	BIR GABBER SINGH COLO CANAL ROAD NEAR GAS G DEHRADUN NORTH		
शहर / स्थान	स्वीकृत भार		
मीटर संख्या	मीटर गुणांक	1.0000KW	
श्रेणी	सप्लाई प्रकार	1.00	
		25	
द्विमास	रीडिंग		
	पिछली रीडिंग	वर्तमान रीडिंग	यूनिट्स
11/2013	4287	4309	22
kWh			
kVAh			
kVA			
kW			
PF :	0.85	बिल आधार	KW
बिल विवरण			
विद्युत मूल्य			राशि र में
4.00			98.00
एग.सी.जी का विद्युत मूल्य पर आधिक्य			
फिक्सड/डिमान्ड चार्ज दर			35.00
फिक्सड/डिमान्ड चार्ज (स्वी.भार से अधिक भार पर)			
वोल्टेज सप्लाई पर छूट/अधिभार (+/-)			
कोपे./एल.पी.एफ. अधिभार (+)			
सोनर वाटर मीटर छूट			
अस्थायी जमा समायोजन/माह (-)			
अन्य देय			
उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति			
विद्युत कर @ 0.15			3.30
अतिरिक्त अधिभार			
वर्तमान योग			
पिछले बिल की देय धनराशि			126.30
विलम्ब शुल्क अधिभार			0.00
			0.00
कुल देय			126.00
ISO:			0.00
पिछले बिल की प्राप्त धनराशि			110.00
15-12-2013	विल भुगतान राशि	28-10-2013	126.00
15-12-2013	तक	र	129.00
12-2013	तक	र	129.00

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 675/एम0डी0डी0ए0/एन0जी0टी0-417-2022/2024-25

दिनांक:- 22/05/24

सेवा में,

श्री तैययब अहमद पुत्र श्री जमीर अहमद,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- पी0डब्ल्यू0डी0
3. उत्तर - हरी
4. दक्षिण- प्रकाश

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरबाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

3132




सत्यमेव जयते

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No	: IN-UK18663371450090P
Certificate Issued Date	: 01-May-2017 01:22 PM
Account Reference	: NONAOC (SV) UK1206604/ DEHRADUN/ UK-OH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120660437435035297310P
Purchased by	: TAIYAB AHMED
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: TAIYAB AHMED
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: TAIYAB AHMED
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)



विक्रय अनुबंध पत्र / चुकता रसीद मय कब्जा

श्री हरी सिंह पुत्र श्री राम प्रवेश निवासी मं0न0 6, काठ बंगला, साईं मन्दिर के पास
जिला देहरादून।

ID NO.- K7R123R146

—प्रथमपक्ष / विक्रेता

एवं

श्री तैयब अहमद पुत्र जमीर अहमद निवासी 44, गांधी रोड, जिला देहरादून।

Adhar NO.- 3025 9913 4942

—द्वितीयपक्ष / क्रेता

के मध्य अंकित व निष्पादित किया गया।

विदित हो कि भूमि जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख पत्र के अन्त में दिया गया है, प्रथमपक्ष मालिक, स्वामी, काबिज व अध्यासी है, इस प्रकार प्रथमपक्ष को अनुबन्धित भूमि को विक्रय अनुबंध पत्र तथा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त है।

विदित हो कि द्वितीयपक्ष निम्न वर्णित भूमि को क्रेय करना चाहता है तथा प्रथमपक्ष विक्रय करना चाहता है, जिसके बाबत निम्न शर्तें तय पायी गयी हैं जिसका पालन दोनों पक्षकर्म, उनके द्विज प्रतिनिधि, वारिसान, मालिक, स्वामी एजेन्ट आदि करेंगे:-

1. यह कि फलकारी की महसूली से इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का कुल मूल्य रु० 45,000/- (चत्वारसीस हजार रुपये) में तय पाया गया है, जो चुकता द्वितीयपक्ष से प्रथमपक्ष को निम्न प्रकार से अदा कर दिये-

अ- रु० 25,000/- रुपये द्वारा बैंक को 01/07/2017 दिनांक 21/01/2017 भारत अधिव्यवहार बैंक लीड ब्रॉचर्स, साया रिसर्वोर्स जिला देहरादून।

ब- रु० 20,000/- रुपये द्वारा बैंक को 01/07/2017 दिनांक 27/01/2017 भारत अधिव्यवहार बैंक लीड ब्रॉचर्स, साया रिसर्वोर्स जिला देहरादून।

समस्त गतवहक कर्तव्य कर दिव है जिसकी पूर्ति प्रथमपक्ष को स्वीकार है, जिसका प्रतिपालन व भुक्त कृप्य लेना देना बाकी नहीं है।

2. यह कि प्रथमपक्ष ने सूची भूमि से अपना कब्जा हटाकर, अपने समान गौके पर द्वितीयपक्ष का कब्जा कराकर अपने समान काबिज स्वामी बना दिया है, आज से द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह सूची भूमि जिस प्रकार चाहे प्रयोग, उपयोग, उपभोग करे, विक्रय, दान हस्तान्तरण करे, निर्माण करे, बिजली पानी आदि के कनेक्शन प्राप्त करे जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति न है और ना भविष्य में होगी।
3. यह कि आज दिन तक कि समस्त देनदारी प्रथमपक्ष वहन करेंगे आज के बाद यह समस्त दायित्व द्वितीयपक्ष का होगा।
4. यह कि स्वामित्व की पुष्टि हेतु यदि द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से किसी लेख बयान आदि की आवश्यकता हुयी तो ऐसा लेख बयान प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष की मांग व व्यय पर लिखकर दे देंगे।
5. यह कि इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार दोनों पक्षों के हित प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, आदि आदि सम्मिलित समझे जायेंगे।


विवरण विक्रीत भूमि

भूमि स्थित गब्बर बस्ती, कैनाल रोड, जिला देहरादून में है, जिसका रकबा (14 X35) फीट अर्थात् रकबा 54.44 वर्गगज भूमि है, जिसकी सीमायें निम्न प्रकार है—


पूरब में—	नदी
पश्चिम में—	40 फीट चौड़ी सडक
उत्तर में—	सम्पत्ति श्री हरी सिंह/विकेता
दक्षिण में—	सम्पत्ति श्री मनोज

अतः यह विक्रय अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 01.05.2017 को स्थान देहरादून में लिख दिया गया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।


हस्ताक्षर प्रथमपक्ष


हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

गवाह-1
राम रेवत

गवाह-2 

20 14/5/17
श्री राम रेवत
श्री राम रेवत

21/05/17
ATTESTED

21/05/17
Notarized by
Attestation & Notary
Chamber No. 52, 2nd Floor
Opposite B.A. Office
Sector 10, Dehra Dun
(U.P.)

14/5/17 कोलमि से

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

नोटिस संख्या- 576 / एम0डी0डी0ए0 / एन0जी0टी0-417-2022 / 2024-25

दिनांक- 22/05/24

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 श्री जयप्रकाश,
कैनाल रोड किशनपुर, किशनपुर
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06/05/2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम किशनपुर के खसरा नं0 161 श्रेणी 6-1 नदी रिस्पना रकबा 36 वर्गमीटर भूमि जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है:-

1. पूरब- नदी
2. पश्चिम- पी0डब्ल्यू0डी0 कैनाल रोड
3. उत्तर - तैयब अहमद
4. दक्षिण-

कार्यालय नगर निगम, देहरादून से पत्र सं0-1789 दिनांक 08/05/2024 के साथ संलग्न सूची के अनुसार उक्त भूमि पर आपके द्वारा पक्का आवास/कच्चा आवास/झोपड़ी/घेरवाड़ आदि की जानी पायी गयी है, उक्त भूमि शासनादेश संख्या - 568/XVIII(II)/2016-03(65)/2015 दिनांक 02/06/2016 के अनुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रबंधन में सौंपी गयी है, उक्त भूमि पर दिनांक 11/03/2016 के उपरान्त आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाना नगर निगम द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है।

एतद्वारा आपसे अपेक्षा है कि आप दिनांक 30/05/2024 के पूर्व अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से स्वयं हटा लें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा। इसमें होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाया की भांति आपसे वसूल किया जायेगा। यदि आपका उक्त अवैध निर्माण दिनांक 11/03/2016 से पूर्व का है तो कृपया इस सम्बन्ध में अभिलेखीय वैध साक्ष्यों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व विभाग, नगर निगम व एम0डी0डी0ए0 की संयुक्त टीम द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25/07/2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
o/c देहरादून।